



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दूसरी
SECOND

अनुदानों के लिए पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2022-2023

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई है)

(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2023

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुपूरक अनुदान मांगों 2022-2023 का दूसरा बैच, 2022-2023

Subject : Second Batch of Supplementary Demands for Grants, 2022-2023.

वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच में 73 अनुदान और 3 विनियोग शामिल हैं। 2,70,508.89 करोड़ रुपए के सकल अतिरिक्त व्यय को प्राधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकदी व्यय से संबंधित प्रस्ताव कुल 1,48,133.23 करोड़ रुपए और सकल अतिरिक्त व्यय, मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से मेल खाते हैं या संवर्धित प्राप्तियां/वसूली कुल मिलाकर 1,22,374.37 करोड़ रुपए है। इसके अलावा, नई सेवा या सेवा के नए साधन से जुड़े मामलों में बचत के पुन विनियोजन को सक्षम बनाने के लिए व्यय की प्रत्येक मद के लिए एक लाख रुपये के साथ 129 लाख रुपए के सांकेतिक प्रावधान की मांग की जा रही है।

The second batch of Supplementary Demands for Grants for 2022-23 includes 73 Grants and 3 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹2,70,508.89 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹1,48,133.23 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹1,22,374.37 crore. Besides, token provision of ₹129 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकदी व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय की मदें इस प्रकार हैं:

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE			
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. सामान्य सहायता अनुदान (i) कृषि में सूचना एवं प्रकाशन निदेशालय सहित आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन के लिए (₹145.27 करोड़) (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए ₹7 करोड़) (ii) कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन के लिए (₹11.78 करोड़) (iii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड (₹3 करोड़) (iv) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (0.67 करोड़ रुपए) 2. अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह के लिए भारत की सदस्यता में योगदान (₹ 0.40 करोड़) 3. पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (i) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार (₹2.90 करोड़) और (ii) कृषि बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन में सूचना और प्रकाशन निदेशालय सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़) 4. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सहायता अनुदान वेतन (₹ 6 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General to (i) I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management (₹145.27 crore) (₹7 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India) (ii) I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management (₹11.78 crore) (iii) Central Agricultural University, Bundelkhand (₹3 crore) (iv) Central Agricultural University, Bihar (₹0.67 crore) 2. Contribution to India's Membership Contribution to Consultative Group on International Agricultural Research (₹0.40 crore) 3. Grants for creation of Capital Assets to (i) Central Agricultural University, Bihar (₹2.90 crore) and (ii) I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture Intellectual Property Rights Management (₹10 crore) 4. Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹6 crore).	145.27	-	145.27
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilizers			
(क) भुगतान के लिए (i) स्वदेशी पी एंड के सब्सिडी (10,000 करोड़ रुपये) और (ii) आयातित	(a) For payment towards (i) Indigenous P&K subsidy (₹10,000 crore) and			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पी एंड के सब्सिडी (11,000 करोड़ रुपये) के भुगतान के लिए (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए 6,000 करोड़ रुपये शामिल हैं)।	(ii) imported P&K subsidy (₹11,000 crores) (This includes ₹6,000 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	21,000.00	-	21,000.00
(ख) (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी (8,853.91 करोड़ रुपये) और (ii) आयातित यूरिया सब्सिडी (6,471.45 करोड़ रुपये) के लिए भुगतान (इसमें 4,000 करोड़ रुपये या भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की वसूली शामिल हैं)।	(b) For payment towards (i) Indigenous Urea subsidy (₹8,853.91 crore) and (ii) imported Urea subsidy (₹6,471.45 crore) (this includes ₹4,000 crore or recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	15,325.36	-	15,325.36
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
अतिरिक्त व्यय के लिए (i) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (10 करोड़ रुपये) और (ii) 'ब्याज समानता योजना' के तहत सब्सिडी के लिए (742 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries (₹10 crore) under the Scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' and (ii) Subsidies (₹742 crore) under the scheme 'Interest Equalisation Scheme'.	742.00	-	742.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों/लेखा कार्यालयों को हार्डवेयर की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for supply of hardware to Post Offices/Administrative Offices/Accounts Offices in North Eastern Areas.	-	42.10	42.10
(ख) सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (276.30 करोड़ रुपये) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on IT Modernization Project 2.0 (₹276.30 crore).	-	10.26	10.26
(ग) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में पूंजी निवेश पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure on capital infusion in India Post Payment Bank.	-	200.00	200.00
13 दूरसंचार विभाग	13 Department of Telecommunication			
(क) न्यायालय के निदेश के अनुसार आईटीएल लिमिटेड के सांविधिक बकायों पर व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure on statutory dues of ITL limited as per the direction of the court.	25.00	-	25.00
(ख) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) दूरसंचार उपकरणों के प्रबंधन परीक्षण और प्रमाणन के लिए (0.60 करोड़ रुपये) (ii) बीएसएनएल को व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण के लिए (52.58 करोड़ रुपये) (iii) गारंटी शुल्क में छूट (72.58 करोड़ रुपये) (iv) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को अतिरिक्त अंतरण (25,000 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (₹0.60 crore) (ii) Viability Gap Funding to BSNL (₹52.58 crore) (iii) waiver of Guarantee fee (₹72.58 crore) (iv) additional transfers to Universal Service Obligation Fund (USOF) (₹25,000 crore).	25,052.58	-	25,052.58
(ग) एनजीएन ट्रांसपोर्ट लैब ट्रिब्यूनल/न्यायालय द्वारा पारित डिक्री के भुगतान को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the payment of decree passed by NGN Transport Lab Tribunal/court.	-	1.14	1.14
(घ) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि में अतिरिक्त अंतरण के लिए (25,000 करोड़ रुपये) (ii) दूरसंचार उपकरणों का अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (0.30 करोड़ रुपये) (iii) दूरसंचार सिम अभिदाता सत्यापन (एएसटीआर) के लिए नई परियोजना आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और फेस रिकग्निशन संचालित समाधान के लिए (0.70 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards (i) additional transfers to Universal Service Obligation Fund (₹25,000 crore) (ii) new project Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (₹0.30 crore) (iii) New project Artificial Intelligence and face Recognition powered solution for Telecom SIM Subscriber Verification (ASTR) (₹0.70 crore).	-	634.36	634.36

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
सहकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF COOPERATION			
16 सहकारिता मंत्रालय	16 Ministry of Cooperation			
(क) अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) सामान्य सहायता अनुदान (414.31 करोड़ रुपए), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए विशेष घटक योजना (91.73 करोड़ रुपए) और जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (47.52 करोड़ रुपए), कृषि सहयोग एकीकृत स्कीम के अंतर्गत, व्यय को पूरा करने के लिए भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत 184.19 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की वसूली सहित और जीएफआर के परिशिष्ट 10 के तहत 369.37 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को नियमित करना (ii) जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत नाबार्ड को किए गए अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण हेतु (100 करोड़ रुपये) (iii) सामान्य सहायता अनुदान (328.28 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति उप योजना के लिए (80.19 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के लिए जनजातीय क्षेत्र उप योजना (41.53 करोड़ रुपये) (iv) जीएफआर, 2017 के परिशिष्ट 10 के अंतर्गत हुए अतिरिक्त व्यय को विनियमित करने के लिए वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान को 30.00 करोड़ रुपये की पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General (₹414.31 crore), for Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹91.73 crore) and for Tribal Area Sub Plan (₹47.52 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation, including recoupment of advance of ₹184.19 crore sanctioned from Contingency Fund of India and regularizing the excess expenditure of ₹369.37 crore incur under Appendix 10 of GFR 2017 (ii) Grants- in-aid General under 'Computerization of Primary Agricultural Credit Societies' for regularizing the excess expenditure incurred under Appendix 10 of GFR 2017 to NABARD (₹100 crore) (iii) Grants- in-aid General (₹328.28 crore), for Scheduled Caste Sub Plan (₹80.19 crore) and for Tribal Area Sub Plan (₹41.53 crore) for National Cooperative Development Cooperation (iv) Grants for creation of Capital Assets for release of ₹30 crore to Vaikunthlal Mehta National Institute of Cooperative Management for regularizing the excess expenditure incur under Appendix 10 of GFR, 2017.	856.96	-	856.96
(ख) जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत हुए 61.40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को विनियमित करने हेतु कृषि सहकारिता संबंधी एकीकृत योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (45.93 करोड़ रुपए), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए (10.19 करोड़ रुपए) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए (5.28 करोड़ रुपए), (ii) सामान्य सहायता अनुदान (37.41 करोड़ रुपए), अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए 8.30 करोड़ रुपए और सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए 4.29 करोड़ रुपए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants- in-aid General (₹45.93 crore), for Scheduled Caste Sub Plan (₹10.19 crore) and for Tribal Area Sub Plan (₹5.28 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation for regularizing the excess expenditure of ₹61.40 crore incurred under Appendix 10 of GFR 2017 (ii) Grants- in-aid General (₹37.41 crore), for Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹8.30 crore) and for Tribal Area Sub Plan (₹4.29 crore) under National Cooperative Development Cooperation for strengthening of Cooperative Sugar Mills.	84.00	-	84.00
(ग) राज्यों को अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies to meet additional outgo to States.	55.38	-	55.38
(घ) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना।	(d) For Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies to release funds to UTs.	5.69	-	5.69

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
20 रक्षा सेवा (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) अदालती आदेशों से उत्पन्न सेना के लिए 'स्टोर' (16 करोड़ रुपये) 'वर्क्स' (1 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय राइफल्स के भुगतान के लिए के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards payments arising out of court orders for Stores (₹16 crore), Works (₹1 crore) and Rashtriya Rifles (₹1 crore) for Army.	18.00	-	18.00
(ख) परिवहन के लिए अतिरिक्त व्यय (160 करोड़ रुपये), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (846.56 करोड़ रुपये), स्टोर (807 करोड़ रुपये), वर्क (1,349 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय कैडेट कोर (69.24 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (350 करोड़ रुपये), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (54.21 करोड़ रुपये) और सेना के लिए अन्य व्यय (744.93 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Transportation (₹160 crore), Ex-Serviceman contributory Health Scheme (₹846.56 crore), 'Stores' (₹807 crore), Works (₹1,349 crore), National Cadet Corps (₹69.24 crore), Agnipath Scheme (₹350 crore), Directorate General of Quality Assurance (₹54.21 crore) and Other expenditure (₹744.93 crore) for Army.	3,960.94	-	3,960.94
(ग) नौसेना के लिए भंडारों (0.50 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (2 करोड़ रुपये) और संयुक्त स्टाफ (0.08 करोड़ रुपये) हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards payment arising out of court orders for stores (₹0.50 crore), Agnipath Scheme (₹2 crore) and Joint Staff (₹0.08 crore) for Navy.	2.58	-	2.58
(घ) परिवहन के लिए अतिरिक्त व्यय (88.16 करोड़ रुपये), मरम्मत एवं रख-रखाव (114.05 करोड़ रुपये), भंडार (1,332.43 करोड़ रुपये), निर्माण (297.22 करोड़ रुपये), संयुक्त स्टाफ (513.92 करोड़ रुपये), अग्निपथ स्कीम (78 करोड़ रुपये) और नौसेना के लिए अन्य व्यय (345.80 करोड़ रुपये) को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure towards Transportation (₹88.16 crore), Repairs and Refits (₹114.05 crore), Stores (₹1332.43 crore), Works (₹297.22 crore), Joint Staff (₹513.92 crore), Agnipath Scheme (₹78 crore), and Other expenditure (₹345.80 crore) for Navy.	2,189.08	-	2,189.08
(ङ) वायु सेना के लिए अन्य व्यय के लिए न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure towards payment arising out of court orders for Other Expenditure for Air Force.	0.03	-	0.03
(च) वायु सेना के लिए वेतन एवं भत्ता (565.22 करोड़ रुपये), परिवहन (0.05 करोड़ रुपये), कार्य (20.30 करोड़ रुपये) और अग्निपथ स्कीम (23.40 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure towards Pay & Allowance (₹565.22 crore), Transportation (₹0.05 crore), Works (₹20.30 crore) and Agnipath Scheme (₹23.40 crore) for Air Force.	329.05	-	329.05
(छ) असैनिकों के लिए वेतन एवं भत्तों (₹ 0.35 करोड़) तथा अनुसंधान एवं विकास कार्यों (₹ 0.09 करोड़) के न्यायालयी आदेशों से होने वाले भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(g) For meeting additional expenditure towards payment arising out of court orders for Pay & Allowances for Civilians (₹0.35 crore) and Works (₹0.09 crore) for Research and Development.	0.26	-	0.26
22 रक्षा पेंशन	22 Defence Pensions			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) दो महीनों अर्थात् जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के लिए (5,586.34 करोड़ रुपये) के लिए बढ़ी हुई वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) दरों नियमित पेंशन के भुगतान के लिए प्रावधान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। (ii) वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के लिए थल सेना के लिए (24,465.57 करोड़ रुपये), नौसेना (1,321.76 करोड़ रुपये) और वायु सेना (2,350.16 करोड़ रुपये) के बकाया घटक के भुगतान के लिए सार्वजनिक खाते और जमा खाते में अंतरण। (iii) पेंशन प्रशासन प्रणाली- आरएकेएसएचए रक्षा (स्पर्श) सेवाओं के कारण बैंकों को सेवा प्रभागों का भुगतान (0.55 करोड़ रुपये)।	For meeting an additional expenditure (i) for provision for payment of regular pension due to enhanced One Rank One Pension (OROP) rates for two months i.e. for January 2023 and February 2023 (₹5,586.34 crore) (ii) towards transfer to a deposit account in Public Account for payment of arrear component of One Rank One Pension (OROP for Army (₹24,465.57 crore), Navy (₹1,321.76 crore) and Air Force (₹2,350.16 crore) (iii) payment of service charges to banks on account of System for Pensions Administration – RakSHA (SPARSH) Services (₹0.55 crore).	33,718.49	-	33,718.49

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29 विदेश मंत्रालय	29 Ministry of External Affairs			
अनुसंधान और नवान्वेषण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (500 करोड़ रुपये)।	For meeting additional expenditure towards Research and Innovation (₹500 crore).	219.04	-	219.04
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue			
(क) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (29,616.82 करोड़ रुपए) में अतिरिक्त अंतरण और राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त रिलीज (29,616.82 करोड़ रुपए) के लिए।	(a) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹29,616.82 crore) and additional release of GST compensation to States (₹29,616.82 crore).	29,616.82	-	29,616.82
(ख) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (3,889.47 करोड़ रुपए) में अतिरिक्त अंतरण और संघ राज्य क्षेत्रों को जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त रिलीज (3,889.47 करोड़ रुपए) के लिए।	(b) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹3,889.47 crore) and additional release of GST compensation to UTs (₹3,889.47 crore).	3,889.47	-	3,889.47
38 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	38 Indian Audit and Accounts Department			
गांधीनगर, गुजरात में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद के लिए (135.36 करोड़ रुपए) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए 134.21 करोड़ रुपए शामिल हैं)।	For purchase of land for construction of office building at Gandhinagar, Gujarat (₹135.36 crore) (this includes ₹134.21 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	-	59.98	59.98
41 पेंशन	41 Pensions			
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के संबंध में उपदान, पारिवारिक पेंशन, अवकाश नकदीकरण, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) और पेंशन प्रभारों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Gratuities, Family Pensions, Leave Encashment, Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) and Pensionary Charges in respect of retirees/deceased employees of Government of NCT, Delhi.	1,499.19	-	1,499.19
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
58 जम्मू और कश्मीर में अंतरण	58 Transfers to Jammu and Kashmir			
झेलम तवी बाढ़ वसूली परियोजना के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting the expenditure on account of Jhelum Tavi Flood Recovery Project.	158.00	-	158.00
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 विधि और न्याय मंत्रालय	65 Law and Justice			
राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रति चुनाव संबंधी व्यय के लंबित दायित्व को निपटाने के लिए।	For clearing the pending liability of election related expenditure towards States/UT Governments.	3,166.08	-	3,166.08
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) योजना के अंतर्गत (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राजसहायता (40 करोड़ रुपए) और (ii) स्कीम क्रेडिट सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत अंशदान (770 करोड़ रुपए) की ओर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹40 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme and (ii) Contribution (₹770 crore) under the scheme Credit Support Programme.	250.00	-	250.00
(ख) योजना के अंतर्गत (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत राजसहायता (360 करोड़ रुपए) और (ii) स्कीम क्रेडिट सहायता	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹360 crore) under the scheme Prime Minister's			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कार्यक्रम के अंतर्गत अंशदान (7,230 करोड़ रुपए) और (iii) स्कीम केंयर विकास योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान (7.14 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	Employment Generation Programme and (ii) Contribution (₹7230 crore) under the scheme Credit Support Programme and (iii) Grants-in-aid General (₹7.14 crore) under scheme Coir Vikas Yojana.	1,956.71	-	1,956.71
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
69 खान मंत्रालय	69 Ministry of Mines			
अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 1. स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण (60 करोड़ रुपये), (ii) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (3 करोड़ रुपये) और (iii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि गतिविधियां (12.57 करोड़ रुपये) और (iv) कार्यक्रम घटक (60 करोड़ रुपये) और (v) स्वायत्त निकायों को सहायता (2.98 करोड़ रुपये) और 2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत वेतन (38.73 करोड़ रुपए) और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.24 करोड़ रुपए) (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम राशि की वसूली के लिए 91.95 करोड़ रुपए शामिल हैं)।	For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Transfer to National Mineral Exploration Fund (₹60 crore), (ii) Bharat Gold Mines Ltd (₹3 crore) and (iii) National Mineral Exploration Trust Fund Activities (₹12.57 crore) and (iv) Programme Component (₹60 crore) and (v) Support to Autonomous Bodies (₹2.98 crore) and 2. Salaries (₹38.73 crore) and Other Administrative Expenses (₹0.24 crore) under the scheme Geological Survey of India (this includes ₹91.95 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	91.95	-	91.95
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
77 योजना मंत्रालय	77 Ministry of Planning			
(i) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन पर व्यय (1.44 करोड़ रुपए) और (ii) देश भर में नवान्वेषण पारिस्थितिकी तंत्र विकास कार्यक्रमों के लिए निधियों की आवश्यकता (15 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional (i) expenditure towards Grants-in-aid Salaries under National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore) and (ii) requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15 crore).	1.44	-	1.44
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT			
84 संघ लोक सेवा आयोग	84 Union Public Service Commission			
परीक्षाओं और चयन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure on Examinations and Selections.	18.75	-	18.75
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
प्रमुख कार्यों पर अतिरिक्त व्यय के लिए (i) विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (136 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग मूल कार्यों के तहत सामान्य रूप से सीआरआईएफ (3,860.09 करोड़ रुपये) से वित्तपोषित (iii) बाह्य सहायता प्राप्त योजना के लिए समकक्ष निधि के तहत विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना (159 करोड़ रुपये) के लिए और (iv) विशेष कार्यक्रम के लिए जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित के लिए वामपंथी उग्रवाद	For additional expenditure on Major Works (i) under the Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹136 crore) (ii) under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹3,860.09 crore) (iii) under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹159 crore) and (iv) for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (एनएच और राज्य सड़क) का विकास (59 करोड़ रुपए) और (v) पूर्वोत्तर क्षेत्र, एनएचओ और जीएनएचसीपी स्कीमों के लिए केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतर खाता अंतरण (6,692.09 करोड़ रुपए)।	Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore) and (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6,692.09 crore).	-	2,807.27	2,807.27
कुल नकदी खर्च	Total Cash Outgo	1,44,378.12	3,755.11	1,48,133.23

3. अनुपूरक अनुदान मांगों के इस बैच में 1,22,374.37 करोड़ रुपए के तकनीकी अनुपूरक अनुदानों/विनियोजनों के प्रस्ताव शामिल हैं जो मंत्रालयों/विभागों की अतिरिक्त प्राप्ति/वसूलियों अथवा तदनुरूपी बचतों से मेल खाते हैं। मदें निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा न्यायालय कुर्की के भुगतान के लिए।	3 Atomic Energy For payment of Court attachment.	18.00	-	18.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागरिक उड्डयन मंत्रालय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	8 Ministry of Civil Aviation For meeting additional expenditure towards Major Work under Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB).	-	10.00	10.00
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11 उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
(क) परिवहन/भाड़ा राजसहायता योजना के अंतर्गत राजसहायता के लिए।	(a) For Subsidies under the scheme Transport/Freight Subsidy Scheme.	0.29	-	0.29
(ख) निधियों की निधि योजना के अंतर्गत निवेश के लिए।	(b) For Investment under the Scheme Fund of Funds.	-	235.98	235.98
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
12 डाक विभाग	12 Department of Posts			
(क) वेतन पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure on Salaries.	83.96	-	83.96
(ख) आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (₹ 276.30 करोड़) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure on IT Modernization Project 2.0 (₹276.30 crore).	-	266.04	266.04
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION			
14 उपभोक्ता मामले विभाग	14 Department of Consumer Affairs			
(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी में विद्युत प्रयोगशाला की स्थापना (0.22 करोड़ रुपए) और (ii) समय प्रसार परियोजना के लिए उपकरणों की अधिप्राप्ति के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (0.60 करोड़ रुपए)।	(a) For (i) setting up of Electrical Laboratory at NER, Guwahati (₹0.22 crore) and (ii) National Physical Laboratory for procurement of equipment for Time Dissemination Project (₹0.60 crore).	-	0.82	0.82
(ख) आवेग जनरेटर परीक्षण प्रणाली की खरीद और मशीनरी और उपकरण के तहत	(b) For making payment on account of purchase of impulse generator testing			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जीसीएमएस के लिए भुगतान करने के लिए।	system and for GCMS under Machinery and equipment.	-	5.05	5.05
(ग) मशीनरी और उपकरणों हेतु (i) भारत सरकार टकसाल, मुंबई (₹ 0.80 करोड़) और (ii) राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (समय प्रसार परियोजना के लिए उपकरणों की खरीद के लिए ₹ 0.10) से उपकरणों की खरीद के लिए।	(c) For Machinery and Equipment for (i) procurement of equipment from India Government Mint, Mumbai (₹0.80 crore) and (ii) National Physical Laboratory (₹0.10 for procurement of equipment for Time Dissemination project.	-	0.90	0.90
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
निवेश के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदामों के लिए।	For ongoing construction of godowns in NER by FCI under Investment.	-	3.20	3.20
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
(क) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अनुपालन में भुगतान के लिए।	(a) For payments in compliance with the Central Administrative Tribunal, New Delhi.	1.47	-	1.47
(ख) (i) सीमा सड़क संगठन (₹ 542.14 करोड़), (ii) रक्षा लेखा विभाग (₹ 31.21 करोड़) (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय (₹ 192.63 करोड़) (iv) रक्षा उत्पादन विभाग (रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचारों हेतु सामान्य सहायता अनुदान के लिए ₹ 18 करोड़) और (v) रक्षा विभाग (₹ 9.26 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the additional expenditure for (i) Border Road Organization (₹542.14 crore) (ii) Defence Accounts Department (₹31.21 crore) (iii) Directorate General Defence Estates (₹192.63 crore) (iv) Department of Defence Production (₹18 crore towards Grants-in-aid General for Innovations for Defence Excellence) and (v) Department of Defence (₹9.26 crore)	775.48	-	775.48
(ग) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Central Administrative Tribunal, New Delhi.	0.24	-	0.24
(घ) (i) आपूर्ति एवं सामग्री (40 करोड़ रुपए), पीओएल (49.40 करोड़ रुपए), विज्ञापन एवं प्रचार (1 करोड़ रुपए), पुर्जो/रूटिंग किटों की खरीद के लिए लघु कार्य (200 करोड़ रुपए) और (ii) तटरक्षक संगठन की व्यावसायिक सेवाएं (43 करोड़ रुपए) और सूचना प्रौद्योगिकी (8 करोड़ रुपए) के स्थापन संबंधी व्यय के लिए।	(d) For establishment related expenditure towards (i) Supplies and Materials (₹40 crore), POL (₹49.40 crore), Advertisement & Publicity (₹1 crore), Minor works (₹200 crore) for procurement of spares/routing kits and for maintenance and (ii) Professional Services (₹43 crore) and Information Technology (₹8 crore) of Coast Guard Organization.	351.88	-	351.88
(ङ) कैटीन भंडार विभाग के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure for Canteen Stores Department.	1,200.00	-	1,200.00
20 रक्षा सेवा (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) परिवहन (160 करोड़ रुपये), भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (846.56 करोड़ रुपये), स्टोर (807 करोड़ रुपये), निर्माण (1349 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय कैडेट कोर (69.24 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (350 करोड़ रुपये), गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय (54.21 करोड़ रुपये) और सेना के लिए अन्य व्यय (744.93 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards Transportation (₹160 crore), Ex-Serviceman contributory Health Scheme (₹846.56 crore), 'Stores' (₹807 crore), Works (₹1,349 crore), National Cadet Corps (₹69.24 crore), Agnipath Scheme (₹350 crore), Directorate General of Quality Assurance (₹54.21 crore) and Other expenditure (₹744.93 crore) for Army.	240.00	-	240.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) परिवहन (88.16 करोड़ रुपए), मरम्मत एवं रखरखाव (114.05 करोड़ रुपए), भंडारों (1332.43 करोड़ रुपए), निर्माणों (297.22 करोड़ रुपए), संयुक्त स्टाफ (513.92 करोड़ रुपए), अग्निपथ स्कीम (78 करोड़ रुपए) और नौसेना के लिए अन्य व्यय (345.80 करोड़ रुपए) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards Transportation (₹88.16 crore), Repairs and Refits (₹114.05 crore), Stores (₹1,332.43 crore), Works (₹297.22 crore), Joint Staff (₹513.92 crore), Agnipath Scheme (₹78 crore), and Other expenditure (₹345.80 crore) for Navy.	500.50	-	500.50
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय निर्माण कार्यों (26 करोड़ रुपये), नौसेना के लिए नौसेना डॉकयार्ड परियोजनाओं (183 करोड़ रुपये), निर्माण (3.98 करोड़ रुपये) वायु सेना के लिए विशेष परियोजनाओं (0.02 करोड़ रुपये) और अनुसंधान और विकास कार्यों (34 करोड़ रुपये) हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न 247 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	21 Capital Outlay on Defence Services For meeting additional expenditure of ₹247 crore arising out of court orders for Constructions Works (₹26 crore), Naval Dockyard Projects (₹183 crore) for Navy, Works (₹3.98 crore), Special Projects (₹0.02 crore) for Air Force and Works (₹34 crore for Research and Development.	-	233.98	233.98
22 रक्षा पेंशन (i) दो महीनों अर्थात् जनवरी 2023 और फरवरी 2023 के लिए बढ़ी हुई वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) दरों के कारण नियमित पेंशन का प्रावधान (5586.34 करोड़ रुपये) (ii) वन रैंक वन पेंशन थल सेना के लिए (ओआरओपी) (24,465.57 करोड़ रुपए), नौसेना (1,321.76 करोड़ रुपए) और वायु सेना (2,350.16 करोड़ रुपए) का बकाया घटक सार्वजनिक खाते के जमा खाते में है। (iii) पेंशन प्रशासन प्रणाली-आरएकेएसएचए रक्षा (स्पर्श) सेवाओं के कारण बैंकों को सेवा प्रभारों का भुगतान (0.55 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	22 Defence Pensions For meeting an additional expenditure (i) for provision for payment of regular pension due to enhanced One Rank One Pension (OROP) rates for two months i.e. for January 2023 and February 2023 (₹5,586.34 crore) (ii) towards transfer to a deposit account in Public Account for payment of arrear component of One Rank One Pension (OROP for Army (₹24,465.57 crore), Navy (₹1,321.76 crore) and Air Force (₹2,350.16 crore) (iii) payment of service charges to banks on account of System for Pensions Administration – RakSHA (SPARSH) Services (₹0.55 crore).	5.89	-	5.89
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23 पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय 2021-22 के दौरान पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) के बोनस शेयरों के निर्गम के लिए निवेश के रूप में पूर्व अवधि समायोजन के प्रावधान बनाने के लिए।	23 Ministry of Development of North Eastern Region For making the provisions towards prior period adjustment as investment towards issue of bonus shares Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) during 2021-22.	-	33.76	33.76
26 उच्च शिक्षा विभाग (i) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को समर्थित योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (250 करोड़ रुपये), केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान (202.96 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान (13.28 करोड़ रुपये), अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स (एबीसी) (5.20 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (0.01 करोड़ रुपये) (ii) राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों का निर्माण के लिए अनुदान (0.01 करोड़ रुपये) (iii) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) (111 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय (0.01 करोड़ रुपये) को समर्थित योजनाओं के अंतर्गत वेतन अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	26 Department of Higher Education For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General under the schemes Support to University Grants Commission (UGC) (₹250 Crore), Grants to Central Universities (₹202.96 Crore), Grants to National Book Trust (₹13.28 Crore), Academic Bank of Credits (ABC) (₹5.20 Crore) and National Digital University (₹0.01 Crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Digital University (₹0.01 Crore) (iii) Grants-in-Aid Salaries under the scheme Support to University Grants Commission (UGC) (₹111 Crore) and National Digital University (₹0.01 Crore).	12.65	-	12.65

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विदेश मंत्रालय	MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS			
29 विदेश मंत्रालय	29 Ministry of External Affairs			
अनुसंधान और नवाचार हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (500 करोड़ रुपये)।	For meeting additional expenditure towards Research and Innovation (₹500 crore).	232.54	-	232.54
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
35 राजस्व विभाग	35 Department of Revenue			
(क) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (29,616.82 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त अंतरण और राज्यों को जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त विमोचन (29,616.82 करोड़ रुपए) के लिए।	(a) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹29,616.82 crore) and additional release of GST compensation to States (₹29,616.82 crore).	29,616.82	-	29,616.82
(ख) जीएसटी प्रतिपूर्ति निधि (₹3,889.47 करोड़) के अतिरिक्त अंतरण और संघ राज्य क्षेत्र को जीएसटी प्रतिपूर्ति की अतिरिक्त विमोचन (₹3,889.47 करोड़)।	(b) For additional transfer to GST Compensation Fund (₹3,889.47 crore) and additional release of GST compensation to UTs (₹3,889.47 crore).	3,889.47	-	3,889.47
38 भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	38 Indian Audit and Accounts Department			
गांधीनगर, गुजरात में कार्यालय भवन के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु (135.36 करोड़ रुपए)	For purchase of land for construction of office building at Gandhinagar, Gujarat (₹135.36 crore).	-	74.23	74.23
39 ब्याज भुगतान	39 Interest Payments			
1. 91 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (₹ 795.19 करोड़), 182 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (₹ 4821.69 करोड़) और 364 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (₹ 6015.67 करोड़) पर छूट 2. (i) बाहरी ऋण (₹ 3135.30 करोड़) पर छूट (ii) बीमा और पेंशन फंड (₹ 220.45 करोड़) (iii) डाक जीवन बीमा के तहत शेष राशि के प्रतिभूतिकरण के खिलाफ जारी विशेष प्रतिभूतियां (₹ 4.90 करोड़) पर ब्याज और (iv) अन्य दायित्व (₹ 15.39 करोड़) और 3. रिजर्व फंड (₹ 106.38 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards 1. discount on 91 Days Treasury Bills (₹795.19 crore), 182 Days Treasury Bills (₹4,821.69 crore) and 364 Days Treasury Bills (₹6,015.67 crore) 2. interest on (i) External Debt (₹3,135.30 crore) (ii) Insurance and Pension Funds (₹220.45 crore) (iii) Special Securities issued against securitisation of balances under Postal Life Insurance (₹4.90 crore) and (iv) Other Obligations (₹15.39 crore) and 3. Reseve Funds (₹106.38 crore).	4,830.00	-	4,830.00
40 ऋण का पुनर्भुगतान	40 Repayment of Debt			
बाजार प्रतिभूतियों (5,489.60 करोड़ रुपये), 14 दिन के टी बिलों (7,45,832.18 करोड़ रुपये), 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों (27,869.85 करोड़ रुपये), 364 दिन के ट्रेजरी बिल (7,897.23 करोड़ रुपये), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों का निर्वहन में छूट (9.02 करोड़ रुपये) शामिल अपरिहार्य के साथ अतिरिक्त पुनर्भुगतान को पूरा करने के लिए।	For meeting additional repayment entailing switching of market securities (₹5,489.60 crore), redemption of 14 Day T.bills (₹7,45,832.18 crore), 182 Days Treasury Bills (₹27,869.85 crore), 364 Day Treasury Bills (₹7,897.23 crore), discharge of securities issued to International Financial Institutions (₹9.02 crore).	-	70,762.96	70,762.96
44 पशुपालन और डेयरी विभाग	44 Department of Animal Husbandry and Dairying			
दिल्ली दुग्ध योजना के तहत आपूर्ति और सामग्री के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Supplies and Material under the Delhi Milk scheme.	31.12	-	31.12
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
51 पुलिस	51 Police			
(i) बीएसएफ के लिए प्रमुख कार्य (कार्यालय भवन) (₹ 0.10 करोड़) और (ii) सीआरपीएफ के लिए मोटर वाहन (₹ 0.03 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Major Works for BSF (Office Building) (₹0.10 crore) and (ii) Motor Vehichles for CRPF (₹0.03 crore).	-	0.13	0.13

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
56 लक्षद्वीप विद्युत उत्पादन के लिए हाई स्पीड डीजल की खरीद की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	56 Lakshadweep For meeting the additional requirement for purchase of High Speed Diesel for power generation.	35.95	-	35.95
57 दिल्ली में अंतरण बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	57 Transfers to Delhi For meeting additional expenditure towards Additional Central Assistance for Externally Aided Projects.	-	0.01	0.01
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
68 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	68 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises			
(क) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राजसहायता (40 करोड़ रुपए) और (ii) ऋण सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अंशदान (770 करोड़ रुपए) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹40 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme and (ii) Contribution (₹770 crore) under the scheme Credit Support Programme.	0.60	-	0.60
(ख) (i) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत राजसहायता (360 करोड़ रुपए) और (ii) क्रेडिट सहायता कार्यक्रम योजना के अंतर्गत अंशदान (7230 करोड़ रुपए) और (iii) कॉयर विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (7.14 करोड़ रुपए) की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Subsidies (₹360 crore) under the scheme Prime Minister's Employment Generation Programme and (ii) Contribution (₹7,230 crore) under the scheme Credit Support Programme and (iii) Grants-in-aid General (₹7.14 crore) under scheme Coir Vikas Yojana.	98.90	-	98.90
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
69 खान मंत्रालय	69 Ministry of Mines			
1. (i) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण (60 करोड़ रुपये), (ii) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड (3 करोड़ रुपये) और (iii) राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि गतिविधियां (12.57 करोड़ रुपये) और (iv) कार्यक्रम घटक (60 करोड़ रुपये) और (v) स्वायत्त निकायों को सहायता (2.98 करोड़ रुपये) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और 2. भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण योजना के तहत वेतन (38.73 करोड़ रुपये) और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.24 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the scheme (i) Transfer to National Mineral Exploration Fund (₹60 crore), (ii) Bharat Gold Mines Ltd (₹3 crore) and (iii) National Mineral Exploration Trust Fund Activities (₹12.57 crore) and (iv) Programme Component (₹60 crore) and (v) Support to Autonomous Bodies (₹2.98 crore) and 2. Salaries (₹38.73 crore) and Other Administrative Expenses (₹0.24 crore) under the scheme Geological Survey of India.	60.00	-	60.00
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
71 नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सॉवरेन हरित कोष से 'अंतरिम खाता अंतरण' के रूप में 5,538.01 करोड़ रुपये (सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 2,800 करोड़ रुपये, पवन ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 1,413 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 लाख रुपये और किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) के लिए 1,325 करोड़ रुपये प्रदान करने के लिए।	71 Ministry of New and Renewable Energy For providing ₹5,538.01 crore as 'Inter Account Transfer' to 'Sovereign Green Fund' (₹2,800 crore for Solar Power (Grid), ₹1,413 crore for Wind Power (Grid), ₹1 lakh for National Green Hydrogen Mission and ₹1,325 crore for Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (KUSUM).	5,536.00	-	5,536.00
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING			
77 योजना मंत्रालय निम्नलिखित हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और	77 Ministry of Planning For meeting additional (i) expenditure towards Grants-in-aid Salaries under			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विकास संस्थान (₹1.44 करोड़) के तहत वेतन सहायता अनुदान के लिए व्यय और (ii) देश भर में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र विकास गतिविधियों के लिए धन की आवश्यकता (₹15 करोड़)	National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore) and (ii) requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15 crore).	15.00	-	15.00
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
सागरमाला विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निवेश (₹53.43 करोड़) के तहत इक्विटी के भुगतान के लिए।	For payment of equity by Sagarmala Development Company Limited under Investment (₹53.43 crore).	-	23.86	23.86
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
85 रेल मंत्रालय	85 Ministry of Railways			
(क) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	68.80	-	68.80
(ख) ईंधन (डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन) के तहत उच्च आवश्यकता और उच्च मरम्मत तथा रखरखाव कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards higher requirement under fuel (Diesel & Electric tractions) and higher repairs and maintenance activities.	1,340.94	-	1,340.94
(ग) न्यायालय के आदेशों से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	-	882.00	882.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
प्रमुख कार्यों के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) बाहरी सहायता योजना के तहत - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए (₹136 करोड़) (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत सीआरआईएफ से वित्तपोषित मूल कार्य-सामान्य (₹3,860.09 करोड़) (iii) विदेशी सहायता प्राप्त योजना के लिए समकक्ष निधि के तहत - विश्व बैंक, हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा परियोजना के लिए (₹159 करोड़) और (iv) वामपंथी उग्रवादी प्रभावित क्षेत्रों में सड़क संपर्क (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़कों) के विशेष कार्यक्रम विकास के लिए जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषित (₹59 करोड़) और (v) पूर्वोत्तर क्षेत्रों, एनएचओडब्ल्यू और जीएनएचसीपी योजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतर खाता अंतरण (₹6,692.09 करोड़)।	For additional expenditure on Major Works (i) under the Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹136 crore) (ii) under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹3,860.09 crore) (iii) under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹159 crore) and (iv) for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore) and (v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6,692.09 crore).	-	885.82	885.82
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
93 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	93 Department of Social Justice And Empowerment			
महिला इमदाद समिति को भूमि आवंटन का भुगतान जारी करने के संबंध में।	For release of payment for allotment of land to Mahila Imdad Committee.	-	8.17	8.17

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
100 जनजातीय कार्य मंत्रालय	100 Ministry of Tribal Affairs			
(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) के तहत 'वेतन' (₹ 0.26 करोड़), कार्यालय व्यय (₹ 0.50 करोड़) और घरेलू यात्रा व्यय (₹ 0.20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional expenditure towards 'Salaries' (₹0.26 crore), Office Expenses (₹0.50 crore) and Domestic Travel Expenses (₹0.20 crore) under the National Commission for Scheduled Tribes (NCST).	0.96	-	0.96
कुल तकनीकी	Total Technical	48,947.46	73,426.91	1,22,374.37

4. नीचे सूचीबद्ध मदों के संबंध में प्रत्येक ₹ 1 लाख का पूरक अनुदान भी लिया जाना प्रस्तावित है, जिसकी तुलना में दर्शाए गए व्यय को संबंधित अनुदान के राजस्व या पूंजीगत खंड, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत बचत के पुनर्विनियोजन द्वारा पूरा किया जाएगा।

4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.

सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग **Token Supplementary Demands for grants**

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1 कृषि और किसान कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture and Farmers Welfare			
2401-फसल पालन	2401- Crop Husbandry	3,176.96	-	3,176.96
2416 - कृषि वित्तीय संस्थान	2416 - Agricultural Financial Institutions	2,500.00	-	2,500.00
2435 - अन्य कृषि कार्यक्रम	2435 - Other Agricultural Programmes	660.00	-	660.00
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	104.32	-	104.32
2 कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	5.45	-	5.45
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	2.00	-	2.00
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
3 परमाणु ऊर्जा	3 Atomic Energy			
5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5401 - Capital Outlay on Atomic Energy Research	-	1,233.00	1,233.00
आयुष मंत्रालय	MINISTRY OF AYUSH			
4 आयुष मंत्रालय	4 Ministry of AYUSH			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	15.00	-	15.00
रसायन और उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
5 रसायन और उर्वरक विभाग	5 Department of Chemicals and Petrochemicals			
2852 - उद्योग	2852 - Industries	1.17	-	1.17
7 औषध विभाग	7 Department of Pharmaceuticals			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	41.52	-	41.52
2852 - उद्योग	2852 - Industries	1.80	-	1.80
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र (भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए)	2552 - North Eastern Areas (For recoupment of Advance sanctioned from Contingency Fund of India)"	50.00	-	50.00
3053 - नागर विमानन	3053 - Civil Aviation	714.08	-	714.08

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	18.00	-	18.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
10 वाणिज्य विभाग	10 Department of Commerce			
2407 - वृक्षारोपण	2407 - Plantations	25.09	-	25.09
11 उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग	11 Department for Promotion of Industry and Internal Trade			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	20.00	-	20.00
2885 - उद्योगों एवं खनिजों पर अन्य परियोजना	2885 - Other Outlays on Industries and Minerals	253.48	-	253.48
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION			
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution			
4408 - खाद्य भंडारण और भांडागारण पर पूंजीगत परियोजना	4408 - Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	-	2.00	2.00
सहकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF COOPERATION			
16 सहकारिता मंत्रालय	16 Ministry of Cooperation			
4059-सार्वजनिक कार्यों पर पूंजीगत परियोजना	4059-Capital Outlay on Public Works	-	149.73	149.73
संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE			
18 संस्कृति मंत्रालय	18 Ministry of Culture			
2205 - कला और संस्कृति (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹56.60 करोड़ शामिल हैं)।	2205 - Art and Culture (this includes ₹56.60 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	224.98	-	224.98
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	5.50	-	5.50
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19 रक्षा मंत्रालय (सिविल)	19 Ministry of Defence (Civil)			
4552 - पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परियोजना	4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	-	50.00	50.00
5054 - सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परियोजना	5054 - Capital Outlay on Roads and Bridges	-	450.00	450.00
21 रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	21 Capital Outlay on Defence Services			
4076 - रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4076 - Capital Outlay on Defence Services	-	11,578.60	11,578.60
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
24 पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	24 Ministry of Earth Sciences			
3403 - समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403 - Oceanographic Research	16.76	-	16.76
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	6.19	-	6.19
3455 - मौसम विज्ञान	3455 - Meteorology	2.78	-	2.78
शिक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF EDUCATION			
25 स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	25 Department of School Education and Literacy			
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	1,000.00	-	1,000.00
26 उच्च शिक्षा विभाग	26 Department of Higher Education			
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	204.61	-	204.61
2552- पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	67.55	-	67.55
4202 - शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना	4202 - Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	0.01	0.01

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
27 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	27 Ministry of Electronics and Information Technology			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	20.00	-	20.00
2852 - उद्योग	2852 - Industries	180.00	-	180.00
3454 - जनगणना, सर्वेक्षण और आँकड़े	3454 - Census, surveys and statistics	110.00	-	110.00
4859 - दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग पर पूंजीगत परियोजनाएं	4859- Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	-	2.50	2.50
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
28 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	28 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
2406 - वानिकी और वन्य जीवन	2406 - Forestry and Wild Life	90.65	-	90.65
3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601 - Grants-in-aid to State Governments	148.50	-	148.50
5425 - अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परियोजनाएं	5425 - Capital Outlay on Other Scientific and Environment Research	-	3.00	3.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
30 आर्थिक कार्य विभाग	30 Department of Economic Affairs			
2075 - विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	0.01	-	0.01
3466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	86.35	-	86.35
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	1.57	-	1.57
3605 - अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	235.00	-	235.00
32 वित्तीय सेवाएं विभाग	32 Department of Financial Services			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	20.00	-	20.00
36 प्रत्यक्ष कर	36 Direct Taxes			
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परियोजनाएं	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	118.46	118.46
4216 - आवासन पर पूंजीगत परियोजनाएं	4216 - Capital Outlay on Housing	-	7.04	7.04
37 अप्रत्यक्ष कर	37 Indirect Taxes			
2037 - सीमा शुल्क	2037 - Customs	700.00	-	700.00
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परियोजनाएं	4059-Capital Outlay on Public Works	-	73.00	73.00
4216- आवासन पर पूंजीगत परियोजनाएं	4216-Capital Outlay on Housing	-	4.40	4.40
42 राज्यों को अंतरण	42 Transfers to States			
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	1,600.00	-	1,600.00
7601 - राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601 - Loans and Advances to State Governments	-	230.00	230.00
7602 - संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602 - Loans and Advances to Union Territory Governments	-	0.01	0.01
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय	MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING			
43 मत्स्य विभाग	43 Department of Fisheries			
2405 - मत्स्यपालन	2405 - Fisheries	4.40	-	4.40
44 पशुपालन और डेयरी विभाग	44 Department of Animal Husbandry and Dairying			
2403 - पशुपालन	2403 - Animal Husbandry	0.90	-	0.90
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	1.94	-	1.94
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES			
45 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	45 Ministry of Food Processing Industries			
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408 - Food Storage and Warehousing	15.06	-	15.06

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	46 Department of Health and Family Welfare			
2210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	800.45	-	800.45
2211 - परिवार कल्याण	2211 - Family Welfare	85.62	-	85.62
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	180.46	-	180.46
4210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परियोजना	4210 - Capital Outlay on Medical and Public Health	-	5.00	5.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
49 गृह मंत्रालय	49 Ministry of Home Affairs			
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	45.76	-	45.76
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4250 - Capital Outlay on other Social Services	-	14.00	14.00
51 पुलिस	51 Police			
2055 - पुलिस	2055 - Police	348.35	-	348.35
4055 - पुलिस पर पूंजीगत परियोजना	4055 - Capital Outlay on Police	-	112.22	112.22
52 अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	52 Andaman and Nicobar Islands			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	4.00	-	4.00
2210 - चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	2210 - Medical and Public Health	0.50	-	0.50
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	0.89	-	0.89
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	15.00	-	15.00
2225 - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	2.00	-	2.00
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	0.27	-	0.27
2402-मृदा और जल संरक्षण	2402-Soil and Water Conservation	0.14	-	0.14
2702-लघु सिंचाई कार्य	2702-Minor Irrigation	0.25	-	0.25
3054-सड़कें और पुल	3054-Roads and Bridges	0.15	-	0.15
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	-	0.03	0.03
4055-पुलिस पर पूंजीगत परियोजना	4055-Capital Outlay on Police	-	0.15	0.15
4059-लोक निर्माण पर पूंजीगत परियोजना	4059-Capital Outlay on Public Works	-	1.00	1.00
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	-	2.11	2.11
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	-	7.40	7.40
4210-चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परियोजना	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	-	2.50	2.50
4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परियोजना	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	-	0.06	0.06
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परियोजना	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	-	0.30	0.30
4250 - अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परियोजना	4250-Capital Outlay on other Social Services	-	5.69	5.69
4401-फसल पालन पर पूंजीगत परियोजना	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	-	1.03	1.03
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परियोजना	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	-	0.65	0.65
4405 - मत्स्यपालन पर पूंजीगत परियोजना	4405-Capital Outlay on Fisheries	-	0.64	0.64
4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परियोजना	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	-	0.65	0.65
4408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण पर पूंजीगत परियोजना	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	-	1.50	1.50

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	-	1.00	1.00
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4801-Capital Outlay on Power Projects	-	0.55	0.55
4851-ग्रामीण और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	-	0.55	0.55
5054-सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	-	5.00	5.00
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	-	0.01	0.01
	5452-Capital Outlay on Tourism	-	0.15	0.15
55 लद्दाख	55 Ladakh			
2015 - चुनाव	2015 - Elections	0.03	-	0.03
2202 - सामान्य शिक्षा	2202 - General Education	1.87	-	1.87
2245 - प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत	2245 - Relief on account of Natural Calamities	5.00	-	5.00
2408 - खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408 - Food Storage and Warehousing	46.50	-	46.50
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS			
60 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	60 Ministry of Housing and Urban Affairs			
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052 - Secretariat-General services	3.50	-	3.50
2059 - लोक निर्माण	2059 - Public Works	1.20	-	1.20
2217 - शहरी विकास	2217 - Urban Development	1.30	-	1.30
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	175.66	-	175.66
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	51.00	51.00
4216 - आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216 - Capital Outlay on Housing	-	50.00	50.00
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217 - Capital Outlay on Urban Development	-	3,202.56	3,202.56
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING			
61 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	61 Ministry of Information and Broadcasting			
2552 - पूर्वोत्तर पूर्वी क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	12.19	-	12.19
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI			
62 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	62 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
2701 - मुख्य और मध्यम सिंचाई कार्य	2701 - Major and Medium Irrigation	470.00	-	470.00
4702 - लघु सिंचाई कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4702 - Capital Outlay on Minor Irrigation	-	0.11	0.11
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
64 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	64 Ministry of Labour and Employment			
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230 - Labour, Employment and Skill Development	0.51	-	0.51
विधि एवं न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
65 विधि एवं न्याय मंत्रालय	65 Law and Justice			
2014 - न्याय प्रशासन (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ 9.35 करोड़ शामिल हैं)।	2014-Administration of Justice (this includes ₹9.35 crore for recoupment of advance sanctioned from Contingency Fund of India).	15.94	-	15.94
66 निर्वाचन आयोग	66 Election Commission			
4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	4059 - Capital Outlay on Public Works	-	7.00	7.00
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
76 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	76 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
2802 - पेट्रोलियम	2802 - Petroleum	477.00	-	477.00
2852 - उद्योग	2852 - Industries	215.62	-	215.62

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS			
78 पत्तन, पोत परिवहन, और जलमार्ग मंत्रालय	78 Ministry of Ports, Shipping and Waterways			
3051 - पोर्ट और लाइट हाउस	3051 - Ports and Light Houses	30.88	-	30.88
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
79 विद्युत मंत्रालय	79 Ministry of Power			
2801 - विद्युत	2801 - Power	59.15	-	59.15
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
85 रेल मंत्रालय	85 Ministry of Railways			
5002 - भारतीय रेलवे पर पूंजीगत परियोजना - वाणिज्यिक लाइनें	5002 - Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	-	30,478.00	30,478.00
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
86 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	86 Ministry of Road Transport and Highways			
3602 - विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों को सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature	460.00	-	460.00
4552- पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परियोजना	4552 - Capital Outlay on North Eastern Areas	-	2,805.00	2,805.00
ग्रामीण विकास मंत्रालय	MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT			
88 भूमि संसाधन विभाग	88 Department of Land Resources			
2506 - भूमि सुधार	2506 - Land Reforms	10.04	-	10.04
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
89 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	89 Department of Science and Technology			
3451 - सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 - Secretariat-Economic Services	0.50	-	0.50
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत ₹60 करोड़ शामिल हैं)।	3425 - Other Scientific Research (this includes ₹60 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	95.01	-	95.01
90 जैव प्रौद्योगिकी विभाग	90 Department of Biotechnology			
2552 - पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552 - North Eastern Areas	12.00	-	12.00
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान (जिनमें से ₹200 करोड़ भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित)।	3425 - Other Scientific Research (₹200 crore sanctioned from Contingency Fund of India).	412.01	-	412.01
91 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	91 Department of Scientific and Industrial Research			
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425 - Other Scientific Research	10.00	-	10.00
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP			
92 कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	92 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship			
2230 - श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230 - Labour, Employment and Skill Development	175.00	-	175.00
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
94 दिव्यांगजनों के अधिकारिता विभाग	94 Department of Empowerment of Persons with Disabilities			
2235 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235 - Social Security and Welfare	13.54	-	13.54

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
95 अंतरिक्ष विभाग	95 Department of Space			
3402 - अंतरिक्ष अनुसंधान	3402 - Space Research	214.00	-	214.00
5402 - अंतरिक्ष अनुसंधान का पूंजीगत परित्यय	5402 - Capital Outlay of Space Research	-	119.23	119.23
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
98 कपड़ा मंत्रालय	98 Ministry of Textiles			
2851 - ग्राम और लघु उद्योग	2851 - Village and Small Industries	12.59	-	12.59
2852 - उद्योग	2852 - Industries	72.05	-	72.05
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
102 युवा मामले और खेल मंत्रालय	102 Ministry of Youth Affairs and Sports			
2204 - खेल और युवा सेवाएं	2204 - Sports and Youth Services	2.50	-	2.50
कुल सांकेतिक	Total Token	0.83	0.46	1.29
<p>अनुदानों की अनुपूरक मांगों में कुल 10,793.30 करोड़ रुपए शामिल हैं, जिन्हें भारत की आकस्मिकता निधि में वापस किया जाना है, जो कि 10 विभागों/मंत्रालयों द्वारा आहरित किया गया था।</p> <p>The Supplementary Demands for Grants includes a total of Rs. ₹10,793.30 crore to be recouped to Contingency Fund of India advance from which were drawn by 10 Departments/Ministeries.</p>				
कुल जोड़	GRAND TOTAL	1,93,326.41	77,182.48	2,70,508.89
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	1,44,378.12	3,755.11	1,48,133.23
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	48,947.46	73,426.91	1,22,374.37
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.83	0.46	1.29

विषय सूची CONTENTS

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
कृषि एवं कृषक		MINISTRY OF AGRICULTURE AND					
कल्याण मंत्रालय		FARMERS WELFARE					
1. कृषि, और कृषक	स्वीकृत	1. Department of Agriculture	Voted	0.04	...	0.04	1-2
कल्याण विभाग		and Farmers Welfare					
2. कृषि अनुसंधान तथा	स्वीकृत	2. Department of Agricultural Research	Voted	145.29	...	145.29	3
शिक्षा विभाग		and Education					
परमाणु ऊर्जा विभाग		DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY					
3. परमाणु ऊर्जा	भासित	3. Atomic Energy	Charged	18.00	...	18.00	4
	स्वीकृत		Voted	...	0.01	0.01	
आयुष मंत्रालय		MINISTRY OF AYUSH					
4. आयुष मंत्रालय	स्वीकृत	4. Ministry of AYUSH	Voted	0.01	...	0.01	5
रसायन और उर्वरक मंत्रालय		MINISTRY OF CHEMICALS AND					
		FERTILIZERS					
5. रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	5. Department of Chemicals and	Voted	0.01	...	0.01	6
		Petrochemicals					
6. उर्वरक विभाग	स्वीकृत	6. Department of Fertilisers	Voted	36325.36	...	36325.36	7
7. भेषज विभाग	भासित	7. Department of Pharmaceuticals	Charged	0.01	...	0.01	8
	स्वीकृत		Voted	0.01	...	0.01	
नागर विमानन मंत्रालय		MINISTRY OF CIVIL AVIATION					
8. नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	8. Ministry of Civil Aviation	Voted	0.02	10.00	10.02	9
कोयला मंत्रालय		MINISTRY OF COAL					
9. कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	9. Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01	10
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF COMMERCE AND					
		INDUSTRY					
10. वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	10. Department of Commerce	Voted	742.01	...	742.01	11
11. उद्योग संवर्धन और		11. Department for Promotion of					
आंतरिक व्यापार विभाग	भासित	Industry and Internal Trade	Charged	0.29	...	0.29	12
	स्वीकृत		Voted	0.02	235.98	236.00	
संचार मंत्रालय		MINISTRY OF COMMUNICATIONS					
12. डाक विभाग	स्वीकृत	12. Department of Posts	Voted	83.96	518.40	602.36	13
13. दूरसंचार विभाग	भासित	13. Department of Telecommunications	Charged	25.00	1.14	26.14	
	स्वीकृत		Voted	25052.58	634.36	25686.94	14
उपभोक्ता कार्य, खाद्य और		MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS,					
सार्वजनिक वितरण मंत्रालय		FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION					
14. उपभोक्ता मामले विभाग	स्वीकृत	14. Department of Consumer Affairs	Voted	...	6.77	6.77	15
15. खाद्य और सार्वजनिक वितरण	स्वीकृत	15. Department of Food and	Voted	...	3.21	3.21	16
विभाग		Public Distribution					
सहकारिता मंत्रालय		MINISTRY OF COOPERATION					
16. सहकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	16. Ministry of Cooperation	Voted	1002.03	0.01	1002.04	17-18
संस्कृति मंत्रालय		MINISTRY OF CULTURE					
18. संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18. Ministry of Culture	Voted	0.02	...	0.02	19

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		राजस्व	पूँजी	जोड़	पृष्ठ
				Revenue	Capital	Total	Page
				(₹ करोड़ in ₹ crore)			
रक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF DEFENCE					
19. रक्षा मंत्रालय (नागरिक)	भारित	19. Ministry of Defence (Civil)	Charged	1.71	...	1.71	20-21
	स्वीकृत		Voted	2327.36	0.02	2327.38	
20. रक्षा सेवाएं (राजस्व)	भारित	20. Defence Services (Revenue)	Charged	20.87	...	20.87	22-23
	स्वीकृत		Voted	7219.57	...	7219.57	
21. रक्षा सेवाओं पर पूँजी परिव्यय	भारित	21. Capital Outlay on Defence Services	Charged	...	233.98	233.98	24
	स्वीकृत		Voted	...	0.01	0.01	
22. रक्षा पेंशन	स्वीकृत	22. Defence Pensions	Voted	33724.38	...	33724.38	25
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय		MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION					
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	23. Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	...	33.76	33.76	26
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
24. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	स्वीकृत	24. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.03	...	0.03	27
शिक्षा मंत्रालय		MINISTRY OF EDUCATION					
25. विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	25. Department of School Education and Literacy	Voted	0.01	...	0.01	28
26. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	26. Department of Higher Education	Voted	12.67	0.01	12.68	29-30
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
27. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Electronics and Information Technology	Voted	0.03	0.01	0.04	31
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
28. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	28. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.02	0.01	0.03	32
विदेश मंत्रालय		MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS					
29. विदेश मंत्रालय	स्वीकृत	29. Ministry of External Affairs	Voted	451.58	...	451.58	33
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
30. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	30. Department of Economic Affairs	Voted	0.04	...	0.04	34
32. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	32. Department of Financial Services	Voted	0.01	...	0.01	35
35. राजस्व विभाग	स्वीकृत	35. Department of Revenue	Voted	67012.58	...	67012.58	36
36. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	36. Direct Taxes	Voted	...	0.02	0.02	37
37. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	37. Indirect Taxes	Voted	0.01	0.02	0.03	38
38. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग	स्वीकृत	38. Indian Audit and Accounts Department	Voted	...	134.21	134.21	39
39. ब्याज भुगतान	भारित	39. Interest Payments	Charged	4830.00	...	4830.00	40
40. ऋण का पुनर्भुगतान	भारित	40. Repayment of Debt	Charged	...	70762.96	70762.96	41
41. पेंशन	स्वीकृत	41. Pensions	Voted	1499.19	...	1499.19	42
42. राज्यों को अंतरण	भारित	42. Transfers to States	Charged	...	0.01	0.01	43
	स्वीकृत		Voted	0.01	0.01	0.02	
मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय		MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING					
43. मत्स्य पालन विभाग	स्वीकृत	43. Department of Fisheries	Voted	0.01	...	0.01	44
44. पशु पालन और डेरी कार्य विभाग	स्वीकृत	44. Department of Animal Husbandry and Dairying	Voted	31.14	...	31.14	45
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय		MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES					
45. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	स्वीकृत	45. Ministry of Food Processing Industries	Voted	0.01	...	0.01	46

				(₹ करोड़ in ₹ crore)			
मांग संख्या और शीर्षक	No. and Title of Demand	राजस्व	पूँजी	जोड़	पृष्ठ		
		Revenue	Capital	Total	Page		
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE						
46. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत 46. Department of Health and Family Welfare	Voted	0.03	0.01	0.04	47	
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS						
49. गृह मंत्रालय	स्वीकृत 49. Ministry of Home Affairs	Voted	0.01	0.01	0.02	48	
51. पुलिस	भांति 51. Police	Charged	...	0.13	0.13	49	
	स्वीकृत	Voted	0.01	0.01	0.02		
52. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत 52. Andaman and Nicobar Islands	Voted	0.09	0.20	0.29	50-52	
55. लद्दाख	स्वीकृत 55. Ladakh	Voted	0.04	...	0.04	53	
56. लक्षद्वीप	स्वीकृत 56. Lakshadweep	Voted	35.95	...	35.95	54	
57. दिल्ली को अंतरण	स्वीकृत 57. Transfers to Delhi	Voted	...	0.01	0.01	55	
58. जम्मू कश्मीर को अंतरण	स्वीकृत 58. Transfers to Jammu and Kashmir	Voted	158.00	...	158.00	56	
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS						
60. आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	स्वीकृत 60. Ministry of Housing and Urban Affairs	Voted	0.04	0.03	0.07	57-58	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING						
61. सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय	स्वीकृत 61. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	...	0.01	59	
जल शक्ति मंत्रालय	MINISTRY OF JAL SHAKTI						
62. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग	स्वीकृत 62. Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	0.01	0.01	0.02	60	
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE						
64. श्रम और रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत 64. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	...	0.01	61	
65. विधि और न्याय	स्वीकृत 65. Law and Justice	Voted	3166.09	...	3166.09	62	
66. निर्वाचन आयोग	स्वीकृत 66. Election Commission	Voted	...	0.01	0.01	63	
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES						
68. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत 68. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	2306.21	...	2306.21	64	
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES						
69. खान मंत्रालय	स्वीकृत 69. Ministry of Mines	Voted	151.95	...	151.95	65	
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY						
71. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत 71. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	5536.00	...	5536.00	66	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS						
76. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत 76. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	0.02	...	0.02	67	
योजना मंत्रालय	MINISTRY OF PLANNING						
77. योजना मंत्रालय	स्वीकृत 77. Ministry of Planning	Voted	16.44	...	16.44	68	
पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS						
78. पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत 78. Ministry of Ports, Shipping and Waterways	Voted	0.01	23.86	23.87	69	

मांग संख्या और शीर्षक		No. and Title of Demand		(₹ करोड़ in ₹ crore)			
				राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page
विद्युत मंत्रालय		MINISTRY OF POWER					
79. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	79. Ministry of Power	Voted	0.01	...	0.01	70
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय		THE PRESIDENT, PARLIAMENT, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION AND THE SECRETARIAT OF THE VICE PRESIDENT					
84. संघ लोक सेवा आयोग	भारित	84. Union Public Service Commission	Charged	18.75	...	18.75	71
रेल मंत्रालय		MINISTRY OF RAILWAYS					
85. रेल मंत्रालय	भारित	85. Ministry of Railways	Charged	68.80	882.00	950.80	72
	स्वीकृत		Voted	1340.94	0.01	1340.95	
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय		MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS					
86. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	86. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	3693.10	3693.11	73-74
ग्रामीण विकास मंत्रालय		MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT					
88. भूमि संसाधन विभाग	स्वीकृत	88. Department of Land Resources	Voted	0.01	...	0.01	75
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY					
89. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	89. Department of Science and Technology	Voted	0.02	...	0.02	76
90. जैव प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	90. Department of Biotechnology	Voted	0.02	...	0.02	77
91. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	91. Department of Scientific & Industrial Research	Voted	0.01	...	0.01	78
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय		MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP					
92. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.01	...	0.01	79
कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT					
93. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	स्वीकृत	93. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	...	8.17	8.17	80
94. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	स्वीकृत	94. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	0.01	...	0.01	81
अंतरिक्ष विभाग		DEPARTMENT OF SPACE					
95. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	95. Department of Space	Voted	0.01	0.01	0.02	82
वस्त्र मंत्रालय		MINISTRY OF TEXTILES					
98. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Textiles	Voted	0.02	...	0.02	83
जनजातीय कार्य मंत्रालय		MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS					
100. जनजातीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	100. Ministry of Tribal Affairs	Voted	0.96	...	0.96	84
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय		MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS					
102. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	स्वीकृत	102. Ministry of Youth Affairs and Sports	Voted	0.01	...	0.01	85
कुल जोड़		GRAND TOTAL		193326.41	77182.48	270508.89	
	भारित		Charged	4983.43	71880.22	76863.65	
	स्वीकृत		Voted	188342.98	5302.26	193645.24	
अनुबंध		ANNEXURE					

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	123960.75	123960.75
पूंजी	Capital	...	39.25	39.25
जोड़	Total	...	124000.00	124000.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	124000.08	124000.08
राजस्व	Revenue	...	123960.82	123960.82
पूंजी	Capital	...	39.26	39.26

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01 (का)	0.01
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	...	0.01 (खb)	0.01
2435-अन्य कृषि कार्यक्रम	2435-Other Agricultural Programmes	...	0.01 (गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) कृषोन्नति योजना (₹0.30 करोड़) के तहत डिजिटल कृषि के अधीन सहायता अनुदान सामान्य। (ii) 'सब्सिडी' (₹157.21 करोड़) के तहत कल्याणकारी योजनाओं के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दलहनों का वितरण। (iii) वनस्पति संरक्षण क्वॉरंटाइन और भंडारण निदेशालय के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹7.00 करोड़)। (iv) खाद्य और पोषण सुरक्षा (₹6.00 करोड़) के तहत सहायता अनुदान सामान्य। (v) 'सब्सिडी' (₹3000 करोड़) के तहत अनुदानों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (एमआईएस)/मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) का क्रियान्वयन। (vi) "एनईएस क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास" के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹0.005 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹0.005 करोड़)। (vii) "पौधों की किस्मों और किसानों के अधिकारों के संरक्षण" के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹1.13 करोड़)। (viii) कृषोन्नति योजना (₹3.25 करोड़) के तहत पौधों की किस्मों और किसान अधिकारों के संरक्षण के अधीन पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान। (ix) "कृषि जनगणना और सांख्यिकी" के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹2.06 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) 'सब्सिडी' (₹2500.00 करोड़) के तहत संशोधित ब्याज सहायता स्कीम (एमआईएसएस)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ग) कृषि विपणन योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹660.00 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General under Digital Agriculture under Krishonnati Yojna (₹0.30 crore). (ii) Distribution of Pulses to States/UTs for Welfare Schemes under 'Subsidies' (₹157.21 crore). (iii) Grants-in-aid General under Directorate of Plant Protection Quarantine and Storage (₹7.00 crore). (iv) Grants-in-aid General under Food and Nutrition Security (₹6.00 crore). (v) Implementation of Market Intervention Scheme (MIS)/Price Support Scheme (PSS) for Grants under 'Subsidies' (₹3000 crore). (vi) Grants-in-aid General (₹0.005 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹0.005 crore) under "Organic Value Chain Development for NES Region". (vii) Grants-in-aid Salary under "Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights" (₹1.13 crore). (viii) Grants for creation of Capital Assets under Protection of Plant Varieties and Farmer's Rights under Krishonnati Yojana (₹3.25 crore). (ix) Grants-in-aid General under "Agriculture Census and Statistics" (₹2.06 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Modified Interest Subvention Scheme (MISS) under 'Subsidies' (₹2500.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Grants-in-aid General under Agricultural Marketing Scheme (₹660.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (घ) (i) कृषि जनगणना और सांख्यिकी योजना (₹6.20 करोड़) के तहत सामान्य श्रेणी के लिए सहायता अनुदान सामान्य। (ii) कृषोन्नति योजना के तहत डिजिटल कृषि के लिए सामान्य श्रेणी हेतु (₹0.90 करोड़), अनुसूचित जाति श्रेणी (₹0.36 करोड़) और जनजातीय क्षेत्र उप-योजना श्रेणी (₹0.10 करोड़) के लिए सहायता अनुदान सामान्य। (iii) कृषोन्नति योजना के तहत खाद्य तेल-तेल पौम योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए सहायता अनुदान सामान्य (₹32.26 करोड़)। (iv) कृषोन्नति योजना के तहत खाद्य तेल-तिलहन योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के लिए सहायता अनुदान सामान्य (₹22.89 करोड़)। (v) सहायता अनुदान सामान्य (₹8.11 करोड़), पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹1.46 करोड़), अनुसूचित जाति श्रेणी के लिए विशेष घटक योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹0.41 करोड़), जनजातीय क्षेत्र उप-योजना श्रेणी (₹23.48 करोड़) के तहत सहायता अनुदान सामान्य और एनईएस क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास के तहत जनजातीय क्षेत्र उप-योजना श्रेणी (₹2.73 करोड़) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान। (vi) कृषि जनगणना और सांख्यिकी योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹5.42 करोड़)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (d) (i) Grants-in-aid General for General Category under Agriculture Census and Statistics Scheme (₹6.20 crore). (ii) Grants-in-aid General for General Category (₹0.90 crore), for Scheduled Castes category (₹0.36 crore) and for Tribal Area Sub-Plan category (₹0.10 crore) for Digital Agriculture under Krishonnati Yojana. (iii) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Edible Oil-Oil Palm Scheme under Krishonnati Yojana (₹32.26 crore). (iv) Grants-in-aid General for Tribal Area Sub-Plan under Edible Oil-Oilseeds Scheme under Krishonnati Yojana (₹22.89 crore). (v) Grants-in-aids General (₹8.11 crore), Grants for creation of Capital Assets (₹1.46 crore), Grants-in-aid General under Special Component Plan for SC Category (₹0.41 crore), Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan category (₹23.48 crore) and Grants for creation of Capital Assets under Tribal Area Sub-Plan category (₹2.73 crore) under Organic Value Chain Development for NES Region. (vi) Grants-in-aid General under Agriculture Census and Statistics Scheme (₹5.42 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8513.62	8513.62
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	8513.62	8513.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	145.29	145.29
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	145.29	145.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	8658.91	8658.91
राजस्व	Revenue	...	8658.91	8658.91
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	2415-Agricultural Research and Education	...	145.27 (खब)	145.27
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	145.29	145.29
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	'मुख्य निर्माण कार्य' के तहत कृषि वैज्ञानिक चयन मंडल को नए भवन के निर्माण और रखरखाव तथा संबंधित कार्यों हेतु (₹5.45 करोड़)।	(a)	creation and maintenance of new building and related works to Agricultural Scientists Recruitment Board under 'Major Works' (₹5.45 crore).	
(ख)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन को सामान्य सहायता अनुदान (₹145.27 करोड़)। इसमें प्रतिपूर्ति के लिए विभाग द्वारा सीएफआई से ₹7 करोड़ का अग्रिम भी शामिल है। (ii) कृषि सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन को सामान्य सहायता अनुदान (₹11.78 करोड़) (iii) अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर परामर्शदात्री समूह के लिए भारत के सदस्यता योगदान में 'अंशदान' के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (₹ 0.40 करोड़)। (iv) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹3 करोड़)। (v) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.67 करोड़)। (vi) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान जारी करने हेतु (₹2.90 करोड़)। (vii) केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार को वेतन सहायता अनुदान (₹ 6 करोड़)। (viii) कृषि में सूचना और प्रकाशन निदेशालय, बौद्धिक संपदा अधिकार प्रबंधन सहित आई.सी.ए.आर. मुख्यालय प्रशासन को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹10 करोड़)।	(b)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. (i) Grants-in-aid General to I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management (₹145.27 crore). This also includes an advance of ₹7 crore from CFI by the Department, for recoupment. (ii) Grants-in-aid General to I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture, Intellectual Property Rights Management (₹11.78 crore). (iii) meeting additional expenditure under 'Contribution' to India's Membership Contribution to Consultative Group on International Agricultural Research (₹ 0.40 crore). (iv) release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Bundelkhand (₹3 crore). (v) Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Bihar (₹ 0.67 crore). (vi) release of Grants for creation of Capital Assets to Central Agricultural University, Bihar (₹2.90 crore). (vii) Grants-in-aid Salaries to Central Agricultural University, Bihar (₹ 6 crore). (viii) Grants for creation of Capital assets to I.C.A.R. Headquarter Administration including Directorate of Information and Publication in Agriculture Intellectual Property Rights Management (₹10 crore).	
(ग)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें ₹145.27 करोड़ का नकद व्यय होगा। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इंपाल को सामान्य सहायता अनुदान जारी करने हेतु (₹2 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 145.27 crore. release of Grants-in-aid General to Central Agricultural University, Imphal (₹2 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

**परमाणु ऊर्जा
ATOMIC ENERGY**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 2 देखिये)
(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 2 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	16517.81	16518.81
पूंजी	Capital	...	15825.08	15825.08
जोड़	Total	1.00	32342.89	32343.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3146.24	3146.24
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	3146.26	3146.26
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	18.00	...	18.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	18.00	0.01	18.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	19.00	35489.16	35508.16
राजस्व	Revenue	19.00	19664.05	19683.05
पूंजी	Capital	...	15825.11	15825.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	18.00	(का) ...	18.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	18.00	0.01	18.01

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय कुर्की का भुगतान (₹.18 करोड़)।
अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ख) आईटीईआर संगठन (958 करोड़ रुपये) और बीएआरसी की रणनीतिक परियोजनाओं (275 करोड़ रुपये) के लिए नकद अंशदान के बकाया के भुगतान के लिए व्यय को पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) payment of Court attachment (₹ 18 crore).
Taking into account the savings available in the Voted section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (b) meeting expenditure towards payment of arrears of In-cash contribution for ITER Organisation (₹ 958 crore) and strategic projects of BARC (₹ 275 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

आयुष मंत्रालय

MINISTRY OF AYUSH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3050.00	3050.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3050.00	3050.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3050.02	3050.02
राजस्व	Revenue	...	3050.02	3050.02
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आईटीआरए) के तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (12 करोड़ रुपये) और (ii) केन्द्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद् (सीसीआरएएस) के तहत वेतन-सहायता अनुदान (3 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(i) Grant for Creation of Capital Assets under Institute of Teaching & Research in Ayurveda (ITRA) (₹ 12 crore) and (ii) Grants-in-Aid Salary under Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (CCRAS) (₹ 3 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 5 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	207.67	207.67
पूंजी	Capital	...	1.33	1.33
जोड़	Total	...	209.00	209.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	209.01	209.01
राजस्व	Revenue	...	207.68	207.68
पूंजी	Capital	...	1.33	1.33
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) सहायता अनुदान (जीआईए)-सामान्य (0.73 करोड़ रुपये) के तहत इन्स्टीट्यूट ऑफ पेस्टीसाइड एंड फॉर्म्यूलेशन टेक्नोलॉजी (आईपीएफटी) और (ii) जीआईए- सामान्य (रु. 0.73 करोड़) के तहत केमिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम (सीपीडीएस) के लिए व्यय को पूरा करना 0.44 करोड़।
अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure towards (i) Institute of Pesticides Formulation Technology (IPFT) under Grants-in-aid(GiA)-General(₹ 0.73 crore) and (ii) Chemical Promotion & Development Scheme (CPDS) under GiA- General (₹ 0.44 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

उर्वरक विभाग

DEPARTMENT OF FERTILISERS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	109242.18	109242.18
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05
जोड़	Total	...	109242.23	109242.23
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	109288.95	109288.95
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	109288.95	109288.95
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	36325.36	36325.36
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	36325.36	36325.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	254856.54	254856.54
राजस्व	Revenue	...	254856.49	254856.49
पूंजी	Capital	...	0.05	0.05

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	21000.00	(क)	21000.00
2852-उद्योग	2852-Industries	...	15325.36	(ख)	15325.36
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	36325.36		36325.36

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) स्वदेशी पीएण्डके सब्सिडी का भुगतान (10,000 करोड़ रुपये) और
(ii) आयातित पीएण्डके सब्सिडी का भुगतान (11,000 करोड़ रुपये)। इसमें 6,000 करोड़ रुपये भारत की आकस्मिकता निधि से निकाले गए की अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;
- (ख) (i) स्वदेशी यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (8,853.91 करोड़ रुपये) और
(ii) आयातित यूरिया सब्सिडी के लिए भुगतान (6471.45 करोड़ रुपये)। इसमें भारत की आकस्मिकता निधि से लिए गए 4,000 करोड़ रुपये के अग्रिम की प्रतिपूर्ति शामिल है।
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा;

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Payment for Indigenous P&K Subsidy (₹ 10,000 crore) and
(ii) Payment for Imported P&K Subsidy (₹ 11,000 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 6,000 crore drawn from Contingency Fund of India.
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) (i) Payment for Indigenous Urea Subsidy (₹ 8,853.91 crore) and
(ii) Payment for Imported Urea Subsidy (₹ 6471.45 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 4,000 crore drawn from Contingency Fund of India.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 7

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2238.85	2238.85
पूंजी	Capital	...	5.30	5.30
जोड़	Total	...	2244.15	2244.15
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.80	24.39	26.19
पूंजी	Capital
जोड़	Total	1.80	24.39	26.19
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.01	0.01	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.01	0.01	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.81	2268.55	2270.36
राजस्व	Revenue	1.81	2263.25	2265.06
पूंजी	Capital	...	5.30	5.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	0.01	(खb) ...	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.01	0.01	0.02

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पूंजीगत आस्ति के निर्माण के लिए अनुदान (41.52 करोड़ रुपये) के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एजुकेशन एंड रिसर्च (एनआईपीईआर) (गुवाहाटी) के लिए आवासीय क्वार्टर/हॉस्टल के निर्माण के लिए व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आरडीपीएल) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण को निधियों का भुगतान करने के लिए (1.80 करोड़ रुपये) (शब्दावली में सुधार के लिए)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting expenditure towards construction of residential quarters/ hostel for National Institutes of Pharmaceutical Education and Research(NIPER) (Guwahati) under Grants for Creation of Capital Assets (₹ 41.52 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Rajasthan Drugs & Pharmaceuticals Ltd. (RDPL) to comply with Hon'ble Supreme Court order to deposit funds before the National Company Law Tribunal (₹ 1.80 crore) (to correct nomenclature).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 8 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 7 देखिये)

(See page 8 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 7 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10590.54	10590.54
पूंजी	Capital	...	76.46	76.46
जोड़	Total	...	10667.00	10667.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	10.02	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10677.03	10677.03
राजस्व	Revenue	...	10590.57	10590.57
पूंजी	Capital	...	86.46	86.46
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	10.00	(गक) 10.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	10.02	10.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	भारत की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की वसूली के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (एनईआर) के तहत सब्सिडी (50 करोड़ रुपये)
(ख)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। (i) (क) क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) (428.10 करोड़ रुपये) (ख) होलॉन्गी हवाई अड्डे के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को (259.99 करोड़ रुपये) (ग) भारत में ड्रोन और ड्रोन घटक उद्योग/कंपनी के लिए (24 करोड़ रुपये) । (ii) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी के लिए सामान्य सहायता अनुदान (1.99 करोड़ रुपये) की पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।
(ग)	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है। विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) के तहत मुख्य कार्य हेतु (10 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a)	Subsidies under Regional Connectivity Scheme (NER) for recoupment of advance from Contingency Fund of India (₹ 50 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(b)	(i) Grants for creation of Capital Assets for (a) Regional Connectivity Scheme (RCS) (₹ 428.10 crore) (b) Airport Authority of India (AAI) for Hollongi airport (₹ 259.99 crore) (c) PLI Scheme for Drone and Drones Components Industry /Company in India (₹ 24 crore). (ii) Grants-in-aid General for Indira Gandhi Rashtriya Uran Academy (₹ 1.99 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(c)	Major Works under Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) (₹ 10 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	393.24	393.24
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	393.24	393.24
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	154.64	154.64
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	154.64	154.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	547.89	547.89
राजस्व	Revenue	...	547.89	547.89
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (I) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के तहत 'कोयला और लिग्नाइट के अन्वेषण पर' पर खर्च को पूरा करने के लिए 18 करोड़ रुपये ('क्षेत्रीय अन्वेषण' के लिए 5.50 करोड़ रुपये और 'विस्तृत ड्रिलिंग' के लिए 12.50 करोड़ रुपये) प्रदान करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (I) providing ₹ 18 crore towards meeting expenditure on 'Exploration of Coal and Lignite' under North Eastern Areas (₹ 5.50 crore for 'Regional Exploration' and ₹ 12.50 crore for 'Detailed Drilling'). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये)
(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	5672.50	5673.00
पूंजी	Capital	...	400.00	400.00
जोड़	Total	0.50	6072.50	6073.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	383.00	383.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	383.01	383.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	742.01	742.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	742.01	742.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	7197.52	7198.02
राजस्व	Revenue	0.50	6797.51	6798.01
पूंजी	Capital	...	400.01	400.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01	(का)	0.01
3453-विदेश व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	742.00	(खb)	742.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	742.01		742.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) 'कॉफी बोर्ड' योजना के तहत वेतन सहायता अनुदान (0.09 करोड़ रुपये) और
(ii) 'रबर बोर्ड' योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (25.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

- (ख) (i) 'भारतीय विदेश व्यापार संस्थान' योजना के तहत सहायता अनुदान वेतन (10.00 करोड़ रुपये)। (ii) ब्याज समानता योजना के तहत सब्सिडी (742 करोड़ रुपये)।

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें 742 करोड़ रुपये का अतिरिक्त नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 0.09 crore) under the scheme 'Coffee Board' and (ii) Grants-in-aid General (₹ 25.00 crore) under the scheme 'Rubber Board'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (b) (i) Grants-in-aid Salaries (₹ 10 crore) under the Scheme 'Indian Institute of Foreign Trade' and (ii) Subsidies (₹ 742 crore) under the scheme 'Interest. Equalisation Scheme'.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo of ₹ 742 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन

DEPARTMENT FOR PROMOTION OF INDUSTRY AND INTERNAL TRADE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

... 7048.00 7048.00

... 1300.00 1300.00

... 8348.00 8348.00

पूरक अनुदान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

0.01 0.04 0.05

... 62.45 62.45

0.01 62.49 62.50

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूंजी

जोड़

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

0.29 0.02 0.31

... 235.98 235.98

0.29 236.00 236.29

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूंजी

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

0.30 8646.49 8646.79

0.30 7048.06 7048.36

... 1598.43 1598.43

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र

2885-उद्योग और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी) के तहत सब्सिडी

जोड़ (राजस्व भाग)

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2552-North Eastern Areas

2885-Other Outlays on Industries and Minerals

Total (Revenue Section)

... 0.01 (का) 0.01

0.29 (खब) 0.01 (गक) 0.30

0.29 0.02 0.31

पूंजी भाग

मुख्य शीर्ष

4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय

जोड़ (पूरक)

CAPITAL SECTION

MAJOR HEAD

4875-Capital Outlay on Other Industries

Total (Supplementary)

... 235.98 (घद) 235.98

0.29 236.00 236.29

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) "पूर्वोत्तर उद्योग और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)" के तहत सब्सिडी (20.00 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) "परिवहन/मालभाड़ा सब्सिडी योजना" के तहत सब्सिडी (0.29 करोड़ रुपए)।

अनुदान के राजस्व (स्वीकृत) भाग में उपलब्ध अभ्यार्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

(ग) "हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड 2017" के लिए औद्योगिक विकास योजना के अंतर्गत सब्सिडी (253.48 करोड़ रुपए)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ) "निधियों की निधि" योजना के तहत निवेश (235.98 करोड़ रुपए)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध अभ्यार्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(a) Subsidies (₹ 20.00 crore) under the scheme "North Eastern Industrial and Investment Promotion Policy (NEIPP)".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Subsidies (₹ 0.29 crore) under the scheme "Transport/Freight Subsidy Scheme".

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue (Voted) Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(c) Subsidies (₹ 253.48 crore) under the scheme "Industrial Development Scheme for Himachal Pradesh & Uttarakhand, 2017".

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d) Investment (₹ 235.98 crore) under the Scheme "Fund of Funds".

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)
(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.80	35506.47	35507.27
पूंजी	Capital	...	888.62	888.62
जोड़	Total	0.80	36395.09	36395.89
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.60	...	1.60
पूंजी	Capital	...	87.00	87.00
जोड़	Total	1.60	87.00	88.60
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	83.96	83.96
पूंजी	Capital	...	518.40	518.40
जोड़	Total	...	602.36	602.36
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.40	37084.45	37086.85
राजस्व	Revenue	2.40	35590.43	35592.83
पूंजी	Capital	...	1494.02	1494.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	83.96 (का)	83.96
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	42.10 (खब)	42.10
5201-डाक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	276.30 (गc)	276.30
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थाओं में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	...	200.00 (घd)	200.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	518.40	518.40
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	602.36	602.36

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	...	(-)350.00	(-)350.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) वेतन पर अतिरिक्त व्यय (83.96 करोड़ रुपये) को पूरा करना। अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध समान वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ख) पूर्वोत्तर क्षेत्रों में डाकघरों/प्रशासनिक कार्यालयों/लेखा कार्यालयों को हार्डवेयर की आपूर्ति के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (42.10 करोड़ रुपये)।
- (ग) इससे नकद व्यय होगा। आईटी आधुनिकीकरण परियोजना 2.0 (276.30 करोड़ रुपये) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध समान वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय में 10.26 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।
- (घ) इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (200 करोड़ रुपये) में पूंजी डालने पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इससे नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure on Salaries (₹ 83.96 crore). Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure of supply of hardware to Post Offices/ Administrative Offices/Accounts Offices in North Eastern areas (₹ 42.10 crore). This will entail cash outgo.
- (c) meeting additional expenditure on IT Modernization Project 2.0 (₹ 276.30 crore). Taking into account the matching recoveries available in the Revenue section of the Grant, the above expenditure will entail net cash outgo of ₹ 10.26 crore.
- (d) meeting additional expenditure on capital infusion in India Post Payment Bank (₹ 200 crore). This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	32436.38	32436.38
पूंजी	Capital	...	63111.42	63111.42
जोड़	Total	...	95547.80	95547.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13668.84	13668.84
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	13668.85	13668.85
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	25.00	25052.58	25077.58
पूंजी	Capital	1.14	634.36	635.50
जोड़	Total	26.14	25686.94	25713.08
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	26.14	134903.59	134929.73
राजस्व	Revenue	25.00	71157.80	71182.80
पूंजी	Capital	1.14	63745.79	63746.93

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3275-अन्य संचार सेवाएं	3275-Other Communication Services	25.00 (का)	25052.58 (खब)	25077.58
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	1.14 (गक)	634.36 (घद)	635.50
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	26.14	25686.94	25713.08

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) न्यायालय के निर्देशानुसार आईटीआई लिमिटेड की सांविधिक देयराशि पर 25 करोड़ रुपये का व्यय पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा।
- (ख) (i) दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (एमटीसीटीई) के लिए 0.60 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पूरा करना, (ii) बीएसएनएल को व्यवहार्य अन्तर निधियन के लिए 52.58 करोड़ रुपए, (iii) गारन्टी शुल्क की छूट के लिए 72.58 करोड़ रुपए, (iv) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओएफ) को अतिरिक्त अन्तरण हेतु 25,000 करोड़ रुपए।
- अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए इसमें 25052.58 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।
- (ग) एनजीएन परिवहन प्रयोगशाला न्यायाधिकरण/न्यायालय द्वारा पारित डिक्री का भुगतान पूरा करने के लिए 1.14 करोड़ रुपए अपेक्षित है। इसमें नकद व्यय होगा।
- (घ) (i) सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि को अतिरिक्त अन्तरण के लिए 25,000 करोड़ रुपए, (ii) नई परियोजना "दूरसंचार उपकरण के अनिवार्य परीक्षण एवं प्रमाणन (एमटीसीटीई) के लिए 0.30 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं, (iii) सिम सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फेस रिकग्निशन पावर्ड सोल्यूशन (एएसटीआर)" के लिए 0.70 करोड़ रुपए अपेक्षित हैं।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 634.36 करोड़ रुपए की बकाया राशि के लिए पूरक की मांग की जाती है। इसमें नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) Meeting expenditure of ₹ 25 crore on statutory dues of ITI limited as per the direction of the court. This will entail cash outgo.
- (b) (i) Meeting additional expenditure of ₹ 0.60 crore towards 'Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (MTCTE)', (ii) ₹ 52.58 crore towards Viability Gap Funding to BSNL, (iii) ₹ 72.58 crore towards waiver of Guarantee fee, (iv) ₹ 25,000 crore for additional transfers to Universal Service Obligation Fund (USOF). Taking into account the additional receipts, this will entail cash outgo of ₹ 25052.58 crore.
- (c) ₹ 1.14 crore is required to meet the payment of decree passed by NGN Transport Lab Tribunal/court. This will entail cash outgo.
- (d) (i) ₹ 25,000 crore towards additional transfers to Universal Service Obligation Fund, (ii) ₹ 0.30 crore required for new project "Mandatory Testing and Certification of Telecom Equipment (MTCE)", (iii) ₹ 0.70 crore required for new project "Artificial Intelligence and face Recognition powered Solution for Telecom SIM Subscriber Verification (ASTR)". Taking into account savings the savings available in the same section of the Grant, supplementary for the balance amount of ₹ 634.36 crore is sought. This will entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

उपभोक्ता मामले विभाग

DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	1742.53	1742.53
पूंजी	...	19.85	19.85
जोड़	...	1762.38	1762.38
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	1742.53	1742.53
Capital	...	19.85	19.85
Total	...	1762.38	1762.38
पूरक अनुदान:			
राजस्व
पूंजी
जोड़
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue
Capital
Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व
पूंजी	...	6.77	6.77
जोड़	...	6.77	6.77
Total (Original plus Supplementary)	...	1769.15	1769.15
राजस्व	...	1742.53	1742.53
पूंजी	...	26.62	26.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4552-पूर्वांतर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.82 (का)	0.82
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	5.05 (खb)	5.05
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.90 (गc)	0.90
जोड़ (पूंजी भाग)	...	6.77	6.77
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.82	0.82
5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	5.05	5.05
5475-Capital Outlay on Other General Economic Services	...	0.90	0.90
Total (Capital Section)	...	6.77	6.77

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) एनईआर, गुवाहाटी में विद्युत प्रयोगशाला की स्थापना (0.22 करोड़ रुपये)।
(ii) समय प्रसार परियोजना (₹. 0.60 करोड़) के लिए उपकरणों की खरीद के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ख) 'मशीनरी और उपकरण' के तहत आवेग जनरेटर परीक्षण प्रणाली की खरीद और जीसीएमएस मशीनरी उपकरण के लिए भुगतान करने हेतु (5.05 करोड़ रुपये)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (ग) (i) 'मशीनरी और उपकरण' (₹. 0.80 करोड़) के अंतर्गत भारत सरकार टकसाल, मुंबई से उपकरणों की खरीद के लिए प्रतिबद्ध व्यय को पूरा करना (ii) 'समय प्रसार परियोजना' के तहत उपकरणों की खरीद के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की तत्काल आवश्यकता को पूरा करना मशीनरी और उपकरण' (0.10 करोड़ रुपये)।

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) setting up of Electrical Laboratory at NER, Guwahati (₹ 0.22 crore). (ii) fulfilment the immediate requirement of National Physical Laboratory for procurement of equipment for Time Dissemination Project (₹ 0.60 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) making payment on account of purchase of impulse generator testing system and for GCMS Machinery equipment under 'Machinery & Equipment' (₹ 5.05 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (c) (i) fulfilment the committed expenditure for procurement of equipment from India Government Mint, Mumbai under 'Machinery & Equipment' (₹ 0.80 crore) (ii) fulfilment the immediate requirement of National Physical Laboratory for procurement of equipment for Time Dissemination project under 'Machinery & Equipment' (₹ 0.10 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 15

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	213929.91	213929.91
पूंजी	Capital	...	12029.67	12029.67
जोड़	Total	...	225959.58	225959.58
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	80348.28	80348.28
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	80348.31	80348.31
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	3.21	3.21
जोड़	Total	...	3.21	3.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	306311.10	306311.10
राजस्व	Revenue	...	294278.19	294278.19
पूंजी	Capital	...	12032.91	12032.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत परिव्यय	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01 (क)	0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	3.20 (ख)	3.20
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	3.21	3.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) संस्थान द्वारा 'मशीनरी और उपकरण' (2 करोड़ रुपये) के तहत एफआरके प्रयोगशालाओं की स्थापना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) एफसीआई द्वारा 'निवेश' (3.20 करोड़ रुपये) के तहत एनईआर में गोदामों का निर्माण चल रहा है।
अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) establishment of FRK labs by the Institute under 'Machinery & Equipment' (₹ 2 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) ongoing construction of godowns in NER by FCI under 'Investment' (₹ 3.20 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16

सहकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF COOPERATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 16 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 16 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	889.00	889.00
पूंजी	Capital	...	11.00	11.00
जोड़	Total	...	900.00	900.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	154.00	154.00
जोड़	Total	...	154.00	154.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1002.03	1002.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1002.04	1002.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2056.04	2056.04
राजस्व	Revenue	...	1891.03	1891.03
पूंजी	Capital	...	165.01	165.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	...	856.96	(का) 856.96
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	84.00	(खब) 84.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	55.38	(गc) 55.38
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	5.69	(घd) 5.69
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	1002.03	1002.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(डे) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	1002.04	1002.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) (क) सामान्य सहायता अनुदान (414.31 करोड़ रुपये), (ख) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष घटक योजना (₹91.73 करोड़) और (ग) जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिए कृषि सहयोग पर एकीकृत योजना के तहत 47.52 करोड़ रुपये की अग्रिम की वसूली के लिए, भारत की आकस्मिकता निधि से 184.19 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए, और जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत 369.37 करोड़ रुपये व्यय को पूरा करना (ii) नाबार्ड को जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत होने वाले अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए 'प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटीकरण' के तहत सामान्य अनुदान (100 करोड़ रुपये) (iii) (क) सहायता अनुदान सामान्य (₹328.28 करोड़), (ख) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए (₹80.19 करोड़) और (ग) जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिए (₹41.53 करोड़) राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के लिए। (iv) जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए वैकुण्ठलाल मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वीएएमएनआईसीओएम) को 30 करोड़ रुपये जारी करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान को पूरा करना।

अनुदान के उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 856.96 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

(ख) (i) (क) सहायता अनुदान सामान्य (45.93 करोड़ रुपये), (ख) अनुसूचित जाति उप योजना (10.19 करोड़ रुपये) और (ग) कृषि सहयोग एकीकृत योजना के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना (5.28 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना। जीएफआर 2017 के परिशिष्ट 10 के तहत 61.40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने के लिए। (ii) (क) सहायता अनुदान सामान्य (37.41 करोड़

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure towards (i) (a) Grants- in-aid General (₹ 414.31 crore), (b) for Special Component Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹91.73 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹47.52crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation, for recoupment of advance of ₹ 184.19 crore from Contingency Fund of India and for regularizing the excess expenditure of ₹ 369.37 crore incur under Appendix 10 of GFR 2017 (ii) Grants- in-aid General under 'Computerization of Primary Agricultural Credit Societies' for regularizing the excess expenditure incur under Appendix 10 of GFR 2017 to NABARD (₹100 crore) (iii) (a) Grants- in-aid General (₹328.28 crore), (b) for Scheduled Caste Sub Plan (₹80.19 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹41.53 crore) for National Cooperative Development Cooperation . (iv) Grants for creation of Capital Assets for release of ₹ 30 crore to Vaikunthlal Mehta National Institute of Cooperative Management (VAMNICOM) for regularizing the excess expenditure incur under Appendix 10 of GFR 2017.

Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 856.96 crore.

(b) meeting expenditure towards (i) (a) Grants- in-aid General (₹ 45.93 crore), (b) for Scheduled Caste Sub Plan (₹ 10.19 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹5.28 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation for regularizing the excess expenditure of ₹ 61.40 crore incur under Appendix 10 of GFR 2017 (ii) (a) Grants-

	रुपये), (ख) अनुसूचित जाति उप योजना के लिए योजना (₹8.30 करोड़) और (ग) सहकारी चीनी मिलों के सुदृढीकरण के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास सहयोग के तहत जनजातीय क्षेत्र उप योजना के लिए (₹4.29 करोड़) के व्यय को पूरा करना।		in-aid General (₹ 37.41 crore), (b) Plan for Scheduled Caste Sub Plan (₹8.30 crore) and (c) for Tribal Area Sub Plan (₹4.29 crore) under National Cooperative Development Cooperation for strengthening of Cooperative Sugar Mills.
	अनुदान के एक उसी खंड के अंतर्गत उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें 84 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।		Taking into account the savings available within the same section of the Grant, this will entail a cash outgo of ₹ 84 crore.
(ग)	चालू वित्त वर्ष में राज्यों को अतिरिक्त व्यय (55.38 करोड़ रुपये) पूरा करने के लिए प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के तहत सहायता अनुदान सामान्य।	(c)	Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies to meet additional outgo (₹ 55.38 crore) to States in current financial year.
	उपरोक्त व्यय में नकद व्यय शामिल होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(घ)	प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण के तहत नए खुले शीर्ष के तहत संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (5.69 करोड़ रुपये)।	(d)	Grants-in-aid General under Computerization of Primary Agricultural Credit Societies to release funds to UTs under the newly opened head (₹ 5.69 crore).
	उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo .
(ङ)	तैयार-निर्मित आवास के अधिग्रहण के लिए (149.73 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करना।	(e)	meeting expenditure towards Acquisition of Ready Built Accommodation (₹ 149.73 crore).
	अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 18 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)

(See page 18 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2920.89	2920.89
पूंजी	Capital	...	88.16	88.16
जोड़	Total	...	3009.05	3009.05
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	354.02	354.02
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	354.03	354.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3363.10	3363.10
राजस्व	Revenue	...	3274.93	3274.93
पूंजी	Capital	...	88.17	88.17

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) सामान्य सहायता अनुदान (क) अकादमियों को सहायता (₹168.60 करोड़, जिनमें से ₹56.60 करोड़ भारत की आकस्मिक निधि की भरपाई के लिए आवश्यक हैं) (ख) शताब्दी और वर्षगांठ समारोह (₹36.18 करोड़) (ग) राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण और रोडमैप मिशन (₹3.00 करोड़) (ii) अकादमियों को सहायता के रूप में पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (₹17.20 करोड़)।

अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) अनुदान सहायता सामान्य के अतिरिक्त व्यय के लिए कला संस्कृति विकास योजना (5.50 करोड़ रुपये)।

अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Grant-in-Aid General (a) Support to Akademies (₹168.60 crore of which, ₹56.60 crore required to recoup Contingency Fund of India) (b) Centenary and Anniversary Celebrations (₹36.18 crore) (c) National Mission on Cultural Mapping & Roadmap (₹3.00 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets as Support to Akademies (₹17.20 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) Meeting additional expenditure for Grant-in-aid General for Kala Sanskriti Vikas Yojana (₹5.50 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (सिविल)

MINISTRY OF DEFENCE (CIVIL)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19-20 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 19-20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.72	32049.29	32050.01
पूंजी	Capital	35.00	11589.99	11624.99
जोड़	Total	35.72	43639.28	43675.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	2750.00	2750.50
पूंजी	Capital	...	500.01	500.01
जोड़	Total	0.50	3250.01	3250.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	1.71	2327.36	2329.07
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	1.71	2327.38	2329.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	37.93	49216.67	49254.60
राजस्व	Revenue	2.93	37126.65	37129.58
पूंजी	Capital	35.00	12090.02	12125.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	1.47 (का)	775.48 (खb)	776.95
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	0.24 (गc)	...	0.24
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	351.88 (घd)	351.88
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	1200.00 (ङe)	1200.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	1.71	2327.36	2329.07
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01 (चf)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (छg)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	1.71	2327.38	2329.09

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अनुपालन में भुगतान के लिए प्रभारित व्यय के लिए ₹ 1.47 करोड़।
अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ख) (i) सीमा सड़क संगठन (₹ 542.14 करोड़), (ii) रक्षा लेखा विभाग (₹ 31.21 करोड़), (iii) रक्षा संपदा महानिदेशालय (₹ 192.63 करोड़), (iv) रक्षा उत्पादन विभाग (₹ 18 करोड़ सामान्य सहायता अनुदान (रक्षा उत्कृष्टता के नवाचारों के लिए), (v) रक्षा विभाग (₹ 9.26 करोड़) के कारण मुख्य रूप से 775.48 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ग) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के अनुपालन में प्रभारित व्यय के लिए ₹ 0.24 करोड़ की आवश्यकता है।
अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (घ) आपूर्ति और सामग्री (₹ 40 करोड़), पीओएल (₹ 49.40 करोड़), विज्ञापन और प्रचार (₹ 1 करोड़), लघु कार्य (₹ 200 करोड़) के लिए पुर्जा/रूटिंग किट की खरीद

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) ₹ 1.47 crore towards charged expenditure for payments in compliance with the Central Administrative Tribunal, New Delhi.
Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) meeting the additional expenditure of ₹ 775.48 crore mainly on account of (i) Border Road Organization (₹ 542.14 crore), (ii) Defence Accounts Department (₹ 31.21 crore), (iii) Directorate General Defence Estates (₹ 192.63 crore), (iv) Department of Defence Production (₹ 18 crore) towards Grants-in-aid General for Innovations for Defence Excellence (v) Department of Defence (₹ 9.26 crore).
Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) ₹ 0.24 Crore towards charged expenditure is required in compliance of Central Administrative Tribunal, New Delhi.
Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (d) ₹ 351.88 crore for establishment related expenditure mainly on account of Supplies and Materials (₹ 40 crore), POL (₹ 49.40

	और रखरखाव, व्यावसायिक सेवाओं (₹ 43 करोड़) और तटरक्षक संगठन की सूचना प्रौद्योगिकी (₹ 8 करोड़) के लिए मुख्य रूप से स्थापना संबंधी व्यय हेतु ₹351.88 करोड़।		
	अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;		
(ड)	आपूर्ति और सामग्री अनिवार्य संविदात्मक देनदारियां, एएफडी बिक्री में वृद्धि और कैंटीन स्टोर विभाग की सामान्य बिक्री के तहत आवश्यकताओं के लिए ₹ 1200 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना;	(e)	crore), Advertisement & Publicity (₹ 1 crore), Minor works (₹ 200 crore) towards procurement of spares/routing kits and towards maintenance, Professional Services (₹ 43 crore) and Information Technology (₹ 8 crore) of Coast Guard Organization.
	₹1200 करोड़ की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;		Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(च)	सीमा सड़क संगठन के लिए ₹50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f)	meeting additional expenditure of ₹ 1200 crore towards requirements under Supplies and Materials; obligatory contractual liabilities, increase in AFD Sales and general sales of Canteen Stores Department.
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the additional receipt of ₹ 1200 crore this will not entail any additional cash outgo.
(छ)	सीमा सड़क संगठन के लिए ₹ 450 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना	(g)	meeting additional expenditure of ₹ 50 crore for Border Road Organisation .
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
			meeting additional expenditure of ₹ 450 crore for Border Road Organisation.
			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये)
(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	98.04	239645.67	239743.71
पूंजी	Capital
जोड़	Total	98.04	239645.67	239743.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.70	19999.30	20000.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.70	19999.30	20000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	20.87	7219.57	7240.44
पूंजी	Capital
जोड़	Total	20.87	7219.57	7240.44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	119.61	266864.54	266984.15
राजस्व	Revenue	119.61	266864.54	266984.15
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	18.00 (का)	4200.94 (खb)	4218.94
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	2.58 (गc)	2689.58 (घd)	2692.16
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	0.03 (ङe)	329.05 (चf)	329.08
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	0.26 (छg)	...	0.26
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	20.87	7219.57	7240.44

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	अदालती आदेशों से उत्पन्न 18 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सेना के लिए 'स्टोर' (16 करोड़ रुपये) 'वर्क्स' (1 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय राइफल्स (1 करोड़ रुपये) के भुगतान के लिए। इसमें 18 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(a)	additional expenditure of ₹ 18 crore towards payments arising out of court orders for 'Stores' (₹ 16 crore) 'Works' (₹ 1 crore) and Rashtriya Rifles (₹ 1 crore) for Army. This will entail a cash outgo ₹ 18 crore.
(ख)	सेना के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 4,380.94 करोड़, 'परिवहन' (160 करोड़ रुपये), 'भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना' (846.56 करोड़ रुपये), 'स्टोर' (807 करोड़ रुपये), 'वर्क्स' (1349 करोड़ रुपये), 'राष्ट्रीय कैडेट कोर' (69.24 करोड़ रुपये), 'अग्निपथ योजना' (350 करोड़ रुपये), 'गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय' (54.21 करोड़ रुपये) और 'अन्य व्यय' (744.93 करोड़ रुपये)। इस खंड में उपलब्ध 180 करोड़ रुपये की बचत और 240 करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए। निवल नकद 3960.94 करोड़ रुपये के व्यय को पूरा करना।	(b)	Meeting additional expenditure of ₹ 4,380.94 crore, towards 'Transportation' (₹ 160 crore), 'Ex-Serviceman contributory Health Scheme' (₹ 846.56 crore), 'Stores' (₹ 807 crore), 'Works' (₹ 1349 crore), 'National Cadet corps' (₹ 69.24 crore), 'Agnipath Scheme' (₹ 350 crore), 'Directorate General of Quality Assurance' (₹ 54.21 crore) and 'Other expenditure' (₹ 744.93 crore) for Army. Taking into account savings of ₹ 180 crore available in the section and ₹ 240 crore additional receipt available net cash outgo ₹ 3960.94 crore.
(ग)	अदालती आदेशों से उत्पन्न 2.58 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए नौ सेना के 'स्टोर' (0.50 करोड़ रुपये), अग्निपथ योजना (2 करोड़ रुपये) और 'संयुक्त कर्मचारी' के भुगतान के लिए (0.08 करोड़ रुपये)। इसमें 2.58 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।	(c)	Additional expenditure of ₹ 2.58 crore towards payment arising out of court orders for 'stores' (₹ 0.50 crore), 'Agnipath Scheme' (₹ 2 crore) and 'Joint Staff' (₹ 0.08 crore) for Navy. This will entail cash outgo ₹ 2.58 crore.
(घ)	नौसेना के लिए 2,769.58 करोड़ रुपये, के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 'परिवहन' हेतु (88.16 करोड़ रुपये), 'मरम्मत और रख-रखाव हेतु' (114.05 करोड़ रुपये), 'भंडार' (1332.43 करोड़ रुपये), 'कार्य' (297.22 करोड़ रुपये), 'संयुक्त कर्मचारी' (513.92 करोड़ रुपये), 'अग्निपथ योजना' (78 करोड़ रुपये), और 'अन्य व्यय' (345.80 करोड़ रुपये)। इस खंड में उपलब्ध 80 करोड़ रुपये की बचत और उपलब्ध 500.50 करोड़ रुपये की अतिरिक्त प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए निवल नकद व्यय 2189.08 करोड़ रुपये होगा।	(d)	Meeting additional expenditure of ₹ 2,769.58 crore, towards 'Transportation' (₹ 88.16 crore), 'Repairs and Refits' (₹ 114.05 crore), 'Stores' (₹ 1332.43 crore), 'Works' (₹ 297.22 crore), 'Joint Staff' (₹ 513.92 crore), 'Agnipath Scheme' (₹ 78 crore), and 'Other expenditure' (₹ 345.80 crore), for Navy. Taking into account savings of ₹ 80 crore available in the section and ₹ 500.50 crore additional receipts available net cash outgo ₹ 2189.08 crore.
(ङ)	वायु सेना के लिए 'अन्य व्यय' हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए 0.03 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इसमें नकद व्यय होगा;	(e)	Additional expenditure of ₹ 0.03 core towards payment arising out of court orders for 'Other Expenditure' for Air Force. This will entail cash outgo.

(च)	वायु सेना के 'वेतन और भत्ता' (565.22 करोड़ रुपये), 'परिवहन' (0.05 करोड़ रुपये), 'कार्य' (20.30 करोड़ रुपये) और 'अग्निपथ योजना' (23.40 करोड़ रुपये) के लिए 608.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।	(f)	Meeting additional expenditure of ₹ 608.97 crore, towards 'Pay & Allowance' (₹ 565.22 crore), 'Transportation' (₹ 0.05 crore), 'Works' (₹ 20.30 crore) and 'Agnipath Scheme' (₹ 23.40 crore) for Air Force.
(छ)	इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 329.05 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा। अनुसंधान और विकास के सिविलियनों के लिए वेतन और भत्ते' (0.35 करोड़ रुपये) और 'कार्य' (0.09 करोड़ रुपये) के अंदाजित आदेशों से उत्पन्न भुगतान के लिए 0.44 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। इस खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 0.26 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।	(g)	Taking into account savings available in the section net cash outgo ₹ 329.05 crore. Additional expenditure of ₹ 0.44 crore towards payment arising out of court orders for 'Pay & Allowances for Civilians' (₹ 0.35 crore) and 'Works' (₹ 0.09 crore) for Research and Development. Taking into account savings available in the section net cash outgo ₹ 0.26 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 22 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये)

(See page 22 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	89.27	152280.34	152369.61
जोड़	Total	89.27	152280.34	152369.61
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	233.98	0.01	233.99
जोड़	Total	233.98	0.01	233.99
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	323.25	152280.36	152603.61
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	323.25	152280.36	152603.61

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	233.98 (का)	0.01 (खब)	233.99

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'निर्माण कार्य' (26 करोड़ रुपये), नौ सेना के लिए 'नौ सेना डॉकयार्ड परियोजना' (183 करोड़ रुपये), वायु सेना के लिए 'कार्य' (3.98 करोड़ रुपये), 'विशेष परियोजना' (0.02 करोड़ रुपये) अनुसंधान और विकास कार्य के लिए (34 करोड़ रुपये) हेतु अदालती आदेशों से उत्पन्न 247 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
भारित भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।
- (ख) निम्नलिखित 11,578.60 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) 'हवाई जहाज और एयरोइंजन' (1495 करोड़ रुपये), 'भारी और मध्यम वाहन' (567.83 करोड़ रुपये), 'रोलिंग स्टॉक' (20 करोड़ रुपये) और थल सेना के लिए 'ईसीएचएस' (5 करोड़ रुपये)। (ii) 'भूमि' (13 करोड़ रुपये), 'हवाई जहाज और एयरोइंजन' (1574.06 करोड़ रुपये), 'भारी और मध्यम वाहन' (20 करोड़ रुपये), 'अन्य उपकरण' (2200 करोड़ रुपये), 'संयुक्त कर्मचारी' (136.04 करोड़ रुपये) और नौसेना के लिए 'नौसेना डॉकयार्ड' (474.94 करोड़ रुपये)। (iii) वायु सेना के लिए 'हवाई जहाज और एयरोइंजन' (4494.63 करोड़ रुपये), और 'विशेष परियोजनाएं' (78.52 करोड़ रुपये)। (iv) डीओओ (सी एंड एस) के लिए 'कार्य' (1.50 करोड़ रुपये)। (v) रक्षा अनुसंधान और विकास 'कार्य' के लिए (498.08 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) additional expenditure of ₹ 247 crore arising out of court orders for 'Constructions Works' (₹ 26 crore), 'Naval Dockyard Projects' (₹ 183 crore) for Navy, 'Works' (₹ 3.98 crore), 'Special Projects' (₹ 0.02 crore) for Air Force and 'Works' (₹ 34 crore) for Research and Development.
Taking in to account savings available in the voted section, this will not entail cash outgo.
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 11,578.60 crore, under (i) 'Air Crafts and Aeroengines' (₹ 1495 crore), 'Heavy and Medium vehicles' (₹ 567.83 crore), 'Rolling Stock' (₹ 20 crore) and 'ECHS' (₹ 5 crore) for Army. (ii) 'Land' (₹ 13 crore), 'Aircraft and Aeroengines' (₹ 1574.06 crore), 'Heavy and Medium vehicles' (₹ 20 crore), 'Other Equipments' (₹ 2200 crore), 'Joint Staff' (₹ 136.04 crore) and 'Naval Dockyard' (₹ 474.94 crore) for Navy. (iii) 'Air Crafts and Aeroengines' (₹ 4494.63 crore), and 'Special Projects' (₹ 78.52 crore) for Air Force. (iv) 'Works' (₹ 1.50 crore) for DoO (C&S). (v) 'Works' (₹ 498.08 crore) for Defence Research and Development.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.77	119688.23	119696.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	7.77	119688.23	119696.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	33724.38	33724.38
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	33724.38	33724.38
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7.77	153412.61	153420.38
राजस्व	Revenue	7.77	153412.61	153420.38
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	33724.38	33724.38

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

निम्नलिखित के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु (i) नियमित पेंशन और बढ़ी हुई वन रैंक वन पेंशन (ओआरआपी) दरों में दो माह यानी जनवरी, 2023 और फरवरी 2023 के लिए प्रावधान हेतु (5586.34 करोड़ रुपये) (ii) लोक लेखा में जमा खाते के लिए वन रैंक वन पेंशन (ओआरआपी) के बकाया घटक के लिए सेना (24,465.57 करोड़ रुपये), नौ सेना (1,321.76 करोड़ रुपये) और वायु सेना (2,350.16 करोड़ रुपये) (iii) पेंशन प्रशासन प्रणाली- रक्षा (एसपीएआरएसएच) सेवाओं के कारण बैंकों को सेवा शुल्क के भुगतान के लिए (0.55 करोड़ रुपये)

राजस्व प्रभारित भाग में उपलब्ध 5.89 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए 33,718.49 करोड़ रुपये का निवल नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Meeting additional expenditure for (i) provision for on account of regular pension and enhanced One Rank One Pension (OROP) rates for two months i.e. for January 2023 and February 2023 (₹ 5586.34 crore). (ii) Arrear component of One Rank One Pension (OROP for Army (₹ 24,465.57 crore), Navy (₹ 1,321.76 crore) and Air Force (₹ 2,350.16 crore) to a deposit account in Public Account. (iii) payment of service charges to banks on account of System for Pensions Administration – RakSHA (SPARSH) Services (₹ 0.55 crore).

Taking into account the savings available in the Revenue Charged Section ₹ 5.89 crore, net cash outgo is ₹ 33,718.49 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 24 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये)

(See page 24 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2140.04	2140.04
पूंजी	Capital	...	670.96	670.96
जोड़	Total	...	2811.00	2811.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	80.00	80.00
जोड़	Total	...	80.02	80.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	33.76	33.76
जोड़	Total	...	33.76	33.76
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2924.78	2924.78
राजस्व	Revenue	...	2140.06	2140.06
पूंजी	Capital	...	784.72	784.72
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	33.76	33.76

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) द्वारा जारी बोनस शेयरों के कारण निवेश के रूप में पूर्वावधि समायोजन के लिए प्रावधानों को 33.76 करोड़ रुपये तक बढ़ाना। अनुदान के राजस्व भाग के तहत उपलब्ध बचतों और समतुल्य मिलान प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

augmenting the provisions by ₹ 33.76 crore towards prior period adjustment as investment on account of bonus shares issued by Power Grid Corporation of India Limited (PGCIL) during the financial year 2021-22. Taking into account the savings available under revenue section of the grant and equivalent matching receipts, this will entail no cash out go.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 23 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2207.94	2207.94
पूंजी	Capital	...	450.00	450.00
जोड़	Total	...	2657.94	2657.94
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2657.99	2657.99
राजस्व	Revenue	...	2207.99	2207.99
पूंजी	Capital	...	450.00	450.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान	3403-Oceanographic Research	...	0.01 (का)	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01 (खb)	0.01
3455-मौसम विज्ञान	3455-Meteorology	...	0.01 (गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर (पेसर)) योजना के तहत (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान सामान्य (4.76 करोड़ रुपए) और (12 करोड़ रुपए) अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) चल रही और साथ ही स्वीकृत नई परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच (रीचआउट) (6.19 करोड़ रुपए) योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने हेतु।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) एटमॉस्फियर एंड क्लाइमेट रिसर्च-मॉडलिंग, ऑब्जर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज (अक्रोस)) स्कीम तहत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (2.78 करोड़ रुपए)।

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards (i) Grants in Aid General (₹ 4.76 crore) and Grants for creation of capital assets (₹ 12 crore) under the scheme Polar Science and Cryosphere (PACER).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General under the Scheme Research, Education and Training Outreach (REACHOUT) (₹ 6.19 crore) for funding the ongoing as well as approved new projects.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting additional expenditure towards Grants for creation of capital assets under the Scheme Atmosphere & Climate Research – Modelling Observing System & Services (ACROSS) (₹ 2.78 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 26 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 26 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	111549.37	111549.37
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	111549.37	111549.37
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	111549.40	111549.40
राजस्व	Revenue	...	111549.40	111549.40
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01	0.01
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	(-)1000.00	(-)1000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा कोष (एमयूएसके) में अंतर खाता अंतरण (1000 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Inter Account Transfer to Madhyamik and Uchhatar Shiksha Kosh (MUSK) (₹ 1000 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	55060.34	55060.34
पूंजी	Capital	...	18.01	18.01
जोड़	Total	...	55078.35	55078.35
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	12.67	12.67
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	12.68	12.68
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	55091.06	55091.06
राजस्व	Revenue	...	55073.04	55073.04
पूंजी	Capital	...	18.02	18.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	12.65	(क) a	12.65
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	...	0.01	(ख) b	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) c	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	12.67		12.67
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परित्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(घ) d	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	12.68		12.68

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [₹. 250 करोड़], (2) केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान [₹. 202.96 करोड़], (3) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास को अनुदान [₹. 13.28 करोड़], (4) अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) [5.20 करोड़ रुपये] और (5) राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय [0.01 करोड़ रुपये] (ii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत पूंजीगत आस्तिक निर्माण के लिए अनुदान: राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय [₹. 0.01 करोड़] (iii) निम्नलिखित योजनाओं के तहत अनुदान सहायता वेतन (1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को सहायता [111 करोड़ रुपये] (2) राष्ट्रीय डिजिटल विश्वविद्यालय [0.01 करोड़ रुपये]

अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध 12.65 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के राजस्व खंड में बचत का उपयोग करने के लिए, 12.65 करोड़ रुपये का तकनीकी पूरक मांगा गया है। शेष राशि सांकेतिक अनुपूरक होने के कारण उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा।

- (ख) i) निम्नलिखित योजनाओं के तहत सामान्य अनुदान (1) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [11.02 करोड़ रुपये] (2) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता [20.7 करोड़ रुपये] और (3) नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केन्द्र [2.25 करोड़ रुपये] (ii) भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) को सहायता योजना के तहत पूंजीगत आस्तिक निर्माण के लिए अनुदान [11.3 करोड़ रुपये] और (iii) योजनाओं के तहत सहायता अनुदान (1) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) को सहायता [154.59 करोड़ रुपये] और (2) भारतीय प्रबंधन संस्थानों को सहायता [₹. 4.75 करोड़]

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-Aid General under schemes (1) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 250 Crore], (2) Grants to Central Universities [₹ 202.96 Crore], (3) Grants to National Book Trust [₹ 13.28 Crore], (4) Academic Bank of Credits (ABC) [₹ 5.20 Crore] and (5) National Digital University [₹ 0.01 crore] (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme National Digital University [₹ 0.01 crore] (iii) Grants-in-Aid Salaries under the following schemes (1) Support to University Grants Commission (UGC) [₹ 111 crore] and (2) National Digital University [₹ 0.01 crore]

Taking into account the surrender of savings of Rs 12.65 crore available in the Capital Section of the Grant, and for utilising the savings in the Revenue section of the Grant, a technical supplementary of Rs 12.65 Crore is sought. Remaining amount being token supplementary, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

- (b) i) Grants-in-Aid General under the following schemes (1) Support to Indian Institutes of Management [₹ 11.02 Crore] (2) Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 20.7 Crore] and (3) Centre for Nano Science and Engineering [₹ 2.25 Crore] (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Support to Indian Institute of Science (IISc) [₹ 11.3 Crore] and (iii) Grants-in-Aid Salaries under the schemes (1) Support to Indian Institutes of Technology (IITs) [₹ 154.59 Crore] and (2) Support to Indian Institutes of Management [₹ 4.75 Crore]

	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान- [67.55 करोड़ रुपये]	(c)		Grants-in-Aid General under the scheme Grants to Central Universities- [₹ 67.55 Crore]
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	निवेश: उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) [0.01 करोड़ रुपये]	(d)		Investments: Higher Education Financing Agency (HEFA) [₹ 0.01 Crore]
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

पूरक अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र

2852-उद्योग

3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी

जोड़ (राजस्व भाग)

पूँजी भाग

मुख्य शीर्ष

4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर

पूँजीगत परिव्यय

जोड़ (पूरक)

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

2552-North Eastern Areas

2852-Industries

3454-Census Surveys and Statistics

Total (Revenue Section)

CAPITAL SECTION

MAJOR HEAD

4859-Capital Outlay on Telecommunication and

Electronic Industries

Total (Supplementary)

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली (सम्मिलित करना), परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/ओएसएटी सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित (मोडिफाइड) कार्यक्रम घटक के तहत अन्य शुल्क (₹. 20 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख)

भारत में कंपाउंड सेमीकंडक्टर/सिलिकॉन फोटोनिक्स/सेंसर फैब/डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर फैब और सेमीकंडक्टर असेंबली (सम्मिलित करना), परीक्षण, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी)/बाह्य स्रोत सेमीकंडक्टर असेंबली (सम्मिलित करना) और परीक्षण (ओएसएटी) सुविधाओं की स्थापना के लिए संशोधित (मोडिफाइड) कार्यक्रम घटक के तहत (i) सामान्य सहायता अनुदान (22.80 करोड़ रुपये), पूँजीगत आस्ति के सृजन के लिए अनुदान (0.20 करोड़ रुपये), अन्य प्रभार (132 करोड़ रुपये), अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत अन्य शुल्क (15 करोड़ रुपये) और जनजातीय उप-योजना के तहत अन्य शुल्क (₹ 10 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ग)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (105.07 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (4.93 करोड़ रुपये) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(घ)

एसटीक्यूसी के संबंध में मशीनरी और उपकरण (₹. 2.50 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a)

meeting an additional expenditure towards Other Charges (₹ 20 crore) under the component Modified Programme for Setting up of Compound Semiconductors/Silicon Photonics/Sensors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/OSAT facilities in India for development of North Eastern Region.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b)

meeting an additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General (₹ 22.80 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹ 0.20 crore), Other Charges (₹ 132 crore), Other Charges under Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 15 crore) and Other Charges under Tribal Sub-Plan (₹ 10 crore) under the component Modified Programme for Setting up of Compound Semiconductors/Silicon Photonics/Sensors Fab/Discrete Semiconductors Fab and Semiconductor Assembly, Testing, Marking and Packaging (ATMP)/Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) facilities in India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(c)

meeting an additional expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 105.07 crore) and Grants-in-Aid Salaries (₹ 4.93 crore) for Unique Identification Authority of India.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(d)

meeting an additional expenditure towards Machinery & Equipment (₹ 2.50 crore) in respect of STQC.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 28

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 28 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	3170.00	3170.00
पूंजी	...	115.00	115.00
जोड़	...	3285.00	3285.00
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	3170.00	3170.00
Capital	...	115.00	115.00
Total	...	3285.00	3285.00
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue	...	0.03	0.03
Capital	...	0.02	0.02
Total	...	0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	3285.08	3285.08
राजस्व	Revenue	3170.05	3170.05
पूंजी	Capital	115.03	115.03

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	...	0.01 (क)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	0.03	0.03

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2406-वानिकी और वन्य जीवन	MAJOR HEAD		
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	(-)39.50
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)148.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)188.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) निम्न हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए - (1) (i) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (5 करोड़ रुपए); भारतीय वन्यजीव संस्थान (2 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान, (2) (ii) भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (15 करोड़ रुपए); (ii) भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (आईपीआरआईटीआई) (4.55 करोड़ रुपए); (iii) भारतीय वन्य जीव संस्थान (4.60 करोड़ रुपए); (3) भारतीय वानिकी प्रबंधन संस्थान हेतु पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (20 करोड़ रुपए) और (4) हरित भारत मिशन के लिए सांवरेन हरित निधि के लिए अन्तर खाता अन्तरण (39.50 करोड़ रुपए)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) हरित भारत मिशन के लिए सांवरेन हरित निधि हेतु अन्तर खाता अन्तरण (148.50 करोड़ रुपए) के संबंध में व्यय को पूरा करने हेतु। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) मुख्य कार्यों के तहत नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के लिए व्यय को पूरा करने हेतु (3.00 करोड़ रुपए)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards (1) Grants-in-Aid General for (i) Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 5 crore); Wildlife Institute of India (₹ 2 crore), (2) Grants-in-Aid Salaries for (i) Indian Council of Forestry Research and Education (₹ 15 crore); (ii) Indian Plywood Industries Research and Training Institute (IPRITI) (₹ 4.55 crore); (iii) Wildlife Institute of India (₹ 4.60 crore); (3) Grants for creation of Capital Assets for Indian Institute of Forests Management (₹ 20 crore) and (4) Inter Account Transfer towards Sovereign Green Fund for Green India Mission (₹ 39.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards Inter Account Transfer under Sovereign Green Fund for Green India Mission (₹ 148.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) meeting expenditure towards National Museum of Natural History under Major works (Rs 3.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

विदेश मंत्रालय

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 29 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	15838.74	15838.77
पूंजी	Capital	...	1416.23	1416.23
जोड़	Total	0.03	17254.97	17255.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	451.58	451.58
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	451.58	451.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	17706.59	17706.62
राजस्व	Revenue	0.03	16290.35	16290.38
पूंजी	Capital	...	1416.24	1416.24
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2061-विदेशी मामले	2061-External Affairs	...	451.58	451.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अनुसंधान और नवाचार के लिए बैठक व्यय (500 करोड़ रुपये)

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध 232.54 करोड़ रुपये की बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी भाग के तहत बचत का उपयोग करने के बाद उपरोक्त व्यय 219.04 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Research and Innovation (₹ 500 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 232.54 crore available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 219.04 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 30

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6736.88	6736.88
पूंजी	Capital	...	13189.92	13189.92
जोड़	Total	...	19926.80	19926.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	575.43	575.43
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	575.44	575.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	20502.28	20502.28
राजस्व	Revenue	...	7312.35	7312.35
पूंजी	Capital	...	13189.93	13189.93

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2075-विविध सामान्य सेवाएं	2075-Miscellaneous General Services	...	0.01 (का)	0.01
3466-अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं	3466-International Financial Institutions	...	0.01 (खb)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01 (गc)	0.01
3605-अन्य देशों के साथ तकनीकी और आर्थिक सहयोग	3605-Technical and Economic Co-operation with Other Countries	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) समय-बाधित मामलों में केंद्रीय प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय (0.01 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) महामारी रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए वित्तीय मध्यस्थ कोष (महामारी कोष) में योगदान (₹ 86.35 करोड़)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) को सहायता अनुदान-वेतन (1.57 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) केंद्रीय क्षेत्र की योजना 'भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आईडीईएस) के तहत स्वीकृत अधिकतम ऋण सीमा पर अतिरिक्त व्यय (235 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) additional expenditure towards interest Payments on Central Securities in time barred cases (₹ 0.01 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) contribution to Financial Intermediary Fund for Pandemic Prevention, Preparedness and Response (the Pandemic Fund) (₹ 86.35 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) additional expenditure towards Grants-in-aid-Salaries (₹ 1.57 crore) to International Financial Services Centres Authority (IFSCA).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) additional expenditure (₹ 235 crore) on Central Sector Scheme 'Lines of Credit under Indian Development and Economic Assistance Scheme (IDEAS)'.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 32

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 34 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये)

(See page 34 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1102.71	1102.71
पूंजी	Capital	...	6072.06	6072.06
जोड़	Total	...	7174.77	7174.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.65	261.48	262.13
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	0.65	261.49	262.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.65	7436.27	7436.92
राजस्व	Revenue	0.65	1364.20	1364.85
पूंजी	Capital	...	6072.07	6072.07
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) अटल पेंशन योजना के तहत अंतर निधियन को पूरा करने के लिए व्यय (₹. 20.00 करोड़)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) expenditure to cover gap fund under Atal Pension Yojana (₹ 20.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 38 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 38 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	227548.22	227548.22
पूंजी	Capital	...	4.30	4.30
जोड़	Total	...	227552.52	227552.52
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19698.49	19698.49
पूंजी	Capital	...	30.00	30.00
जोड़	Total	...	19728.49	19728.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	67012.58	67012.58
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	67012.58	67012.58
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	314293.59	314293.59
राजस्व	Revenue	...	314259.29	314259.29
पूंजी	Capital	...	34.30	34.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	59233.64	(क) 59233.64
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	7778.94	(ख) 7778.94
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	67012.58	67012.58

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)29616.82	(-)29616.82
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)3889.47	(-)3889.47
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)33506.29	(-)33506.29

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण (29616.82 करोड़ रुपये) और राज्यों को जीएसटी मुआवजे की अतिरिक्त रिलीज (29616.82 करोड़ रुपये)।

जीएसटी मुआवजा कोष से 29616.82 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें 29616.82 करोड़ रुपये का नकद खर्च शामिल होगा।

(ख) जीएसटी मुआवजा कोष में अतिरिक्त अंतरण (3889.47 करोड़ रुपये) और विधायिका वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त जीएसटी मुआवजा जारी करना (₹ 3889.47 करोड़)।

जीएसटी मुआवजा कोष से 3889.47 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें 3889.4692 करोड़ रुपये का नकद खर्च शामिल होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) additional transfer to GST Compensation Fund (₹ 29616.82 crore) and additional release of GST compensation to States (₹ 29616.82 crore).

Taking into account additional recoveries of ₹ 29616.82 crore from the GST Compensation Fund, this will entail cash outgo of ₹ 29616.82 crore.

(b) additional transfer to GST Compensation Fund (₹ 3889.47 crore) and additional release of GST compensation to UTs with legislature (₹ 3889.47 crore).

Taking into account additional recoveries of ₹ 3889.47 crore from the GST Compensation Fund, this will entail cash outgo of ₹ 3889.4692 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 36

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)
(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8866.80	8866.80
पूंजी	Capital	...	442.00	442.00
जोड़	Total	...	9308.80	9308.80
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	229.72	229.72
जोड़	Total	...	229.72	229.72
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9538.54	9538.54
राजस्व	Revenue	...	8866.80	8866.80
पूंजी	Capital	...	671.74	671.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (का)	0.01
4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:		
(क)	(i) एनबीसीसी द्वारा निर्मित किए जाने के लिए नौरोजी नगर वाणिज्यिक परिसर, नई दिल्ली में कार्यालय की एकमुश्त खरीद (40.00 करोड़ रुपये) प्रस्तावित। (ii) वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर, नई दिल्ली में आयकर प्रणाली निदेशालय, सीआईटी (ऑडिट)-2 सीआईटी (अपील), डाटा बेस सेल और रा.भा. के लिए ऑफिस स्पेस की एकमुश्त खरीद (78.46 करोड़ रुपये) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	(i) Outright purchase of office at Nauroji Nagar Commercial Complex, New Delhi proposed to be constructed by NBCC (₹ 40.00 crore). (ii) Outright purchase of office space at world trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi for the O/o Directorate of Income Tax System, CIT(Audit)-2 CsIT(Appeal), Data Base Cell & OL (₹ 78.46 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	
(ख)	आयकर विभाग के लिए चंडीगढ़ में प्लॉट की खरीद (7.04 करोड़ रुपये) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)	Purchase of plot in Chandigarh for Income Tax Department (₹ 7.04 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.	

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 37

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये)
(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	39739.17	39739.17
पूंजी	Capital	...	1400.00	1400.00
जोड़	Total	...	41139.17	41139.17
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	41139.21	41139.21
राजस्व	Revenue	...	39739.19	39739.19
पूंजी	Capital	...	1400.02	1400.02

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(ख) 0.01
4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आरओडीटीईपी के लिए 300 करोड़ रुपये और आरओएससीटीएल योजनाओं के लिए 400 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आवश्यकता है।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) पहाड़िया, वाराणसी में सीजीएसटी और सीएक्स आयुक्तालय के निर्माण के लिए भूमि की खरीद हेतु अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता है (73.00 करोड़)।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) द्वारका में आवासीय मकानों के निर्माण हेतु (4.40 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त आवश्यकता है।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Additional requirement of funds for RoDTEP (₹ 300 crore) and RoSCTL (₹ 400 crore) schemes.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additional requirement of funds for purchase of land for construction of CGST & CX Commissionerate at Paharia, Varanasi (₹ 73 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) Additional requirement of funds for construction of residential quarters at Dwarka (₹ 4.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 38
भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 42 देखिये)

(See page 42 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	229.07	5723.49	5952.56
पूंजी	Capital	...	24.00	24.00
जोड़	Total	229.07	5747.49	5976.56
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now required:			
पूरक अनुमान:				
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	134.21	134.21
जोड़	Total	...	134.21	134.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	229.07	5881.70	6110.77
राजस्व	Revenue	229.07	5723.49	5952.56
पूंजी	Capital	...	158.21	158.21
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर	4059-Capital Outlay on Public Works	...	134.21	134.21
पूंजीगत परिव्यय				
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	134.21	134.21
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2016-लेखा परीक्षा	2016-Audit	...	(-)0.27	(-)0.27

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

गांधीनगर, गुजरात में कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि की खरीद (135.36 करोड़ रुपए)। भारत की आकस्मिकता निधि से ली गई 134.21 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि की आपूर्ति की जाएगी।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध 1.15 करोड़ रुपए के बचत अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 73.96 करोड़ रुपए के बचत के अभ्यार्पण और 0.27 करोड़ रुपए की वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, 59.98 करोड़ रुपए का निवल नकद परिव्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

purchase of land for construction of office building at Gandhinagar, Gujarat (₹ 135.36 crore). An amount of ₹ 134.21 crore drawn as advance from the Contingency Fund of India will be recouped.

Taking into account the savings of ₹ 1.15 crore available within the same section of the grant, surrender of savings of ₹ 73.96 crore available in the Revenue Section of the Grant and recoveries of ₹ 0.27 crore, the supplementary will entail net cash outgo of ₹ 59.98 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 39 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	970003.67	...	970003.67
पूंजी	Capital
जोड़	Total	970003.67	...	970003.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	4830.00	...	4830.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	4830.00	...	4830.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	974833.67	...	974833.67
राजस्व	Revenue	974833.67	...	974833.67
पूंजी	Capital
	II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049-ब्याज भुगतान	2049-Interest Payments	4830.00	...	4830.00

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) 91 दिवसीय ट्रेजरी बिलों (795.19 करोड़ रुपये), 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों (4821.69 करोड़ रुपये) और 364 दिनों के ट्रेजरी बिलों (6015.67 करोड़ रुपये) पर छूट के लिए 15114.97 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना; (ii) विदेशी ऋण पर ब्याज (3135.30 करोड़ रुपये); (iii) बीमा और पेंशन फंड पर ब्याज (220.45 करोड़ रुपये); (iv) रिजर्व फंड (106.38 करोड़ रुपये); (v) डाक जीवन बीमा (4.90 करोड़ रुपये) के तहत शेष राशि के प्रतिभूतिकरण के लिए जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज और (vi) अन्य दायित्वों पर ब्याज (15.39 करोड़ रुपये)।

अनुदान में उपलब्ध बचत (10284.97 करोड़ रुपये) और प्रीमियम और उपार्जित ब्याज (14845.52 करोड़ रुपये) की अतिरिक्त प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए, इस अनुपूरक में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

(i) meeting additional expenditure of ₹ 15114.97 crore towards discount on 91 Days Treasury Bills (₹ 795.19 crore), 182 Days Treasury Bills (₹ 4821.69 crore) and 364 Days Treasury Bills (₹ 6015.67 crore); (ii) interest on External Debt (₹ 3135.30 crore); (iii) interest on Insurance and Pension Funds (₹ 220.45 crore); (iv) Reserve Funds (₹ 106.38 crore); (v) interest on Special Securities issued against securitisation of balances under Postal Life Insurance (₹ 4.90 crore) and (vi) interest on Other Obligations (₹ 15.39 crore).

Taking into account savings available in the Grant (₹ 10284.97 crore) and additional receipts on account of Premium and accrued interest (₹ 14845.52 crore), this supplementary will not entail any cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 40 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	7075067.16	...	7075067.16
जोड़	Total	7075067.16	...	7075067.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	70762.96	...	70762.96
जोड़	Total	70762.96	...	70762.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	7145830.12	...	7145830.12
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	7145830.12	...	7145830.12
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	70762.96	...	70762.96

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बाजार प्रतिभूतियों (5489.60 करोड़ रुपये), 14 दिन के टी.बिलों (7,45,832.18 करोड़ रुपये), 182 दिनों के ट्रेजरी बिलों (27869.85 करोड़ रुपये), 364 दिन के ट्रेजरी बिलों (7,897.23 करोड़ रुपये), अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों का निर्वहन (9.02 करोड़ रुपये) में छूट के लिए अपरिहार्य 787097.88 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान शामिल हैं। विनियोग में उपलब्ध 716334.92 करोड़ रुपये की बचत को ध्यान में रखते हुए शेष राशि 70762.96 करोड़ रुपये के लिए तकनीकी अनुपूरक मांगा जाता है। कोई नकद खर्च नहीं होगा क्योंकि व्यय प्राप्तियों से मेल खाएगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

additional repayment of ₹ 787097.88 crore entailing switching of market securities (₹ 5489.60 crore), redemption of 14 Day T.bills (₹ 7,45,832.18 crore), 182 Days Treasury Bills (₹ 27869.85 crore), 364 Day Treasury Bills (₹ 7,897.23 crore), discharge of securities issued to International Financial Institutions (₹ 9.02 crore). After taking into account the savings of ₹ 716334.92 crore available in the Appropriation, the technical supplementary for the balance amount of ₹ 70762.96 crore is sought. There will be no cash outgo as the expenditure will be matched by receipts.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 41

पेंशन

PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 45 देखिये)

(See page 45 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	400.00	66440.81	66840.81
पूंजी	Capital
जोड़	Total	400.00	66440.81	66840.81
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1499.19	1499.19
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1499.19	1499.19
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	400.00	67940.00	68340.00
राजस्व	Revenue	400.00	67940.00	68340.00
पूंजी	Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	1499.19	1499.19

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

उपदान, परिवारिक पेंशन, छुट्टी नकदीकरण, परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (डीसीपीएस) और संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सेवानिवृत्त/मृतक कर्मचारियों के संबंध में पेंशन उधार हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (1499.19 करोड़ रुपये)
उक्त व्यय में 1499.19 करोड़ रुपये का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Gratuities, Family Pensions, Leave Encashment, Defined Contribution Pension Scheme (DCPS) and Pensionary Charges in respect of retirees/deceased employees of Government of NCT Delhi (₹ 1499.19 crore).
The above expenditure will entail cash outgo of ₹ 1499.19 crore;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42

राज्यों को अंतरण

TRANSFERS TO STATES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 46 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	192108.00	43132.00	235240.00
पूंजी	Capital	32380.00	100000.01	132380.01
जोड़	Total	224488.00	143132.01	367620.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	0.01	0.01	0.02
जोड़	Total	0.01	0.02	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	224488.01	143132.03	367620.04
राजस्व	Revenue	192108.00	43132.01	235240.01
पूंजी	Capital	32380.01	100000.02	132380.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	0.01	(खb) ...	0.01
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments	...	0.01	(गc) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	0.01	0.01	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.01	0.02	0.03

यह पूरक अनुदाने/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) 'राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) में अंतरण' के रूप में 1,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) "विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ब्लॉक ऋण) के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता" हेतु 230 करोड़ रुपये प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) "जीएसटी प्रतिपूर्ति कमी के एवज में विधायी वाले संघ राज्य क्षेत्रों को एक के बाद एक (बैंक टू बैंक) ऋण" प्रदान करना। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) providing additional amount of ₹ 1,600 crore as 'Transfers to National Disaster Response Fund (NDRF)'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing ₹ 230 crore towards "Additional Central Assistance for Externally Aided Projects (Block Loan)". Taking into account the savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.
- (c) providing "Back to Back Loans to Union Territory with legislature in lieu of GST Compensation Shortfall". Taking into account savings available in same section of the grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

मत्स्यपालन विभाग

DEPARTMENT OF FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 47 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 47 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 37 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2093.90	2093.90
पूंजी	Capital	...	24.57	24.57
जोड़	Total	...	2118.47	2118.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2118.50	2118.50
राजस्व	Revenue	...	2093.93	2093.93
पूंजी	Capital	...	24.57	24.57
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2405-मत्स्य पालन	2405-Fisheries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मत्स्य पालन जल-कृषि अवसंरचना विकास कोष (केंद्रीय क्षेत्र योजना) के तहत सामान्य अनुदान (4.40 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid-General under Fisheries Aquaculture Infrastructure Development Fund (Central Sector Scheme)(₹ 4.40 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

पशुपालन और डेयरी कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4232.80	4232.80
पूंजी	Capital	...	56.04	56.04
जोड़	Total	...	4288.84	4288.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	31.14	31.14
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	31.14	31.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4319.99	4319.99
राजस्व	Revenue	...	4263.95	4263.95
पूंजी	Capital	...	56.04	56.04
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2403-पशु पालन	2403-Animal Husbandry	...	0.01	(क) 0.01
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	...	31.12	(ख) 31.12
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(ग) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	31.14	31.14

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम की योजना के तहत पशु स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन के लिए एक स्वास्थ्य (ईएपी) के लिए अनुदान-सहायता-सामान्य (0.90 करोड़ रुपये)। एक नया वस्तु शीर्ष शुरू करना है।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) दिल्ली दुग्ध योजना के तहत आपूर्ति और सामग्री (31.12 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;
- (ग) विकास कार्यक्रमों के तहत डेयरी विकास के लिए जनजातीय क्षेत्र उप योजना के तहत सामान्य अनुदान (1.94 करोड़ रुपये)।
- अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) Grants-in-aid-General (₹ 0.90 crore) for Animal Health System Support for one health (EAP) under the scheme of Livestock Health and Disease Control Programme. A new object head is to be opened.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Supplies and Material under the Delhi Milk Scheme (₹ 31.12 crore).
- Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
- (c) Grants-in-aid-General under Tribal Area Sub Plan for Dairy Development under Development Programmes (₹ 1.94 crore).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 45

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2941.99	2941.99
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2941.99	2941.99
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2942.02	2942.02
राजस्व	Revenue	...	2942.02	2942.02
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा को सहायता के तहत पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान (निफ्टेम-कुंडली) (15.06 करोड़ रुपये)

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants for Creation of Capital Assets under Assistance to National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management, Kundli, Haryana (NIFTEM-Kundli) (₹ 15.06 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये)
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	107825.41	107825.41
पूंजी	Capital	...	5632.57	5632.57
जोड़	Total	...	113457.98	113457.98
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.08	0.08
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	113458.10	113458.10
राजस्व	Revenue	...	107825.50	107825.50
पूंजी	Capital	...	5632.60	5632.60
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01 (का)	0.01
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	...	0.01 (खब)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परियोजनाएँ	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.04	0.04

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (656.23 करोड़ रुपये)। (ii) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (66.68 करोड़ रुपये)। (iii) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (24.54 करोड़ रुपये)। (iv) सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली के लिए लघु निर्माण कार्य (18 करोड़ रुपये) और आपूर्ति और सामग्री के अंतर्गत (25 करोड़ रुपये) और (v) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (10 करोड़ रुपये - अन्य प्रभार)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (85.62 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ग) (i) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामान्य सहायता अनुदान (135.02 करोड़ रुपये)। (ii) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (15.01 करोड़ रुपये) और (iii) विभिन्न योजनाओं/संस्थाओं के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए वेतन सहायता अनुदान (30.43 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (घ) डॉ. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (5 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants in Aid General for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 656.23 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 66.68 crore), (iii) Grants in aid Salaries for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 24.54 crore), (iv) Minor Works (₹ 18 crore) and Supplies and Material (₹ 25 crore) for Safdarjung Hospital, New Delhi and (v) Rashtriya Arogya Nidhi (₹ 10 crore - Other Charges).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Grants in Aid General for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 85.62 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) Grants in Aid General for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 135.02 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 15.01 crore) and (iii) Grants in Aid Salaries for meeting additional requirement under the various Schemes/Institutions (₹ 30.43 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Major Works under Dr. RML Hospital, New Delhi (₹ 5 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 49

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 54 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये)

(See page 54 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.03	7384.59	7384.62
पूंजी	Capital	...	236.38	236.38
जोड़	Total	0.03	7620.97	7621.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.06	0.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.03	7621.05	7621.08
राजस्व	Revenue	0.03	7384.64	7384.67
पूंजी	Capital	...	236.41	236.41

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01	(कa)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(खb)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) घरेलू यात्रा व्यय (डीटीई) (15.88 करोड़ रुपये) और किराए, दरों और करों (29.88 करोड़ रुपये) के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के खर्च को पूरा करना।
अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) मोटर वाहनों के तहत नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) (14.00 करोड़ रुपये)
अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards relief on account of Natural Calamities under National Disaster Response Force(NDRF) under Domestic Travel Expenses(DTE) (₹ 15.88 crore) and Rents, Rates and Taxes (₹ 29.88 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) National Disaster Response Force(NDRF) under Motor Vehicles (₹ 14.00 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 57 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)
(See page 57 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 47 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	7.78	108498.01	108505.79
पूंजी	Capital	6.57	10521.98	10528.55
जोड़	Total	14.35	119019.99	119034.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2982.36	2982.36
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2982.37	2982.37
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	0.13	0.01	0.14
जोड़	Total	0.13	0.02	0.15
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	14.48	122002.38	122016.86
राजस्व	Revenue	7.78	111480.38	111488.16
पूंजी	Capital	6.70	10522.00	10528.70

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2055-पुलिस	2055-Police	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	0.13	(ख) 0.01	(ग) 0.14
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.13	0.02	0.15

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) मद शीर्ष आर्म्स एंड गोला-बारूद के तहत असम राइफल (10.35 करोड़ रुपये), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) (42.97 करोड़ रुपये) और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) (2 करोड़ रुपये), (ii) मद शीर्ष हेड क्लोथिंग एंड टेंटेंज के तहत असम राइफल (रुपये 33.00 करोड़), बीएसएफ (20.00 करोड़ रुपये), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) (19.07 करोड़ रुपये), भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) (5.00 करोड़ रुपये) और शस्त्र सीमा बल (एसएसबी) (8.00 करोड़ रुपये)। (iii) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान के तहत लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एलपीआई) (55.00 करोड़ रुपये) और पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (9.97 करोड़ रुपये), (iv) जीआईए-वैतन के तहत एलपीआई (0.25 करोड़ रुपये), (v) चिकित्सा उपचार के तहत दिल्ली पुलिस (30.04 करोड़ रुपये) और विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) (0.50 करोड़ रुपये), (vi) पीओएल के तहत असम राइफल (10.00 करोड़ रुपये), बीएसएफ (28.34 करोड़ रुपये), सीआरपीएफ (45.00 करोड़ रुपये), दिल्ली पुलिस (20.00 करोड़ रुपये), एसपीजी (0.30 करोड़ रुपये) और टियर स्मोक यूनिट (टीएसयू) (0.03 करोड़ रुपये), (vii) किराए, दर और करों के तहत केंद्रीय फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीबीआई) (रुपये 0.13 करोड़), आईटीबीपी (2.00 करोड़ रुपये) और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) (0.70 करोड़ रुपये), (viii) वैतन के तहत असम राइफल (5.00 करोड़ रुपये) और (ix) मजदूरी के तहत राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एनपीए) (0.70 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) (i) प्रमुख कार्यों के तहत बीएसएफ (कार्यालय भवन) (0.10 करोड़ रुपये) और (ii) मोटर वाहनों के तहत सीआरपीएफ (0.03 करोड़ रुपये) अनुदान के पूंजी भाग (स्वीकृत) में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (ग) (i) मशीनरी और उपकरणों के तहत असम राइफल (62.00 करोड़ रुपये), बीएसएफ (एयर-विंग) (0.01 करोड़), आईटीबीपी (12.88 करोड़ रुपये), एनसीबी (1.00 करोड़ रुपये) और एनएसजी (4.00 करोड़ रुपये) और (ii) मोटर वाहनों के तहत सीआरपीएफ (28.78 करोड़ रुपये), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) (1.55 करोड़ रुपये) और एनएसजी (2.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) (i) Assam Rifles (₹ 10.35 crore), Border Security Force(BSF) (₹ 42.97 crore) and National Security Guard(NSG) (₹ 2 crore) under object head Arms & Ammunition, (ii) Assam Rifles (₹ 33.00 crore), BSF (₹ 20.00 crore), Central Reserve Police Force(CRPF) (₹ 19.07 crore), Indo Tibetan Border Police(ITBP) (₹ 5.00 crore) and Shashtra Seema Bal(SSB) (₹ 8.00 crore) under object head Clothing & Tentage, (iii) Land Ports Authority of India(LPAI) (₹ 55.00 crore) and Modernisation of Police Forces (₹ 9.97 crore) under Grants for Creation of Capital Assets, (iv) LPAI (₹ 0.25 crore) under GiA-Salaries, (v) Delhi Police (₹ 30.04 crore) and Special Protection Group(SPG) (₹ 0.50 crore) under Medical Treatment, (vi) Assam Rifles (₹ 10.00 crore), BSF(₹ 28.34 crore), CRPF(₹ 45.00 crore), Delhi Police (₹ 20.00 crore), SPG(₹ 0.30 crore) and Tear Smoke Unit (TSU) (₹ 0.03 crore) under P.O.L, (vii) Central Forensic Science Laboratory (CBI)(₹ 0.13 crore), ITBP(₹ 2.00 crore) and Narcotics Control Bureau(NCB) (₹ 0.70 crore) under Rent, Rate & Taxes, (viii) Assam Rifles (₹ 5.00 crore) under Salaries and (ix) National Police Academy (NPA)(₹ 0.70 crore) under Wages. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) (i) BSF(Office Building) under Major Works (₹ 0.10 crore) and (ii) CRPF under Motor Vehicles (₹ 0.03 crore) Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section(Voted) of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (c) (i) Assam Rifles (₹ 62.00 crore), BSF(Air-Wing)(0.01 crore), ITBP (₹ 12.88 crore), NCB(₹ 1.00 crore) and NSG(₹ 4.00 crore) under Machinery & Equipments and (ii) CRPF(₹ 28.78 crore), National Investigation Agency(NIA) (₹ 1.55 crore) and NSG(₹ 2.00 crore) under Motor Vehicles. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 58 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये)
 (See page 58 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	5176.42	5176.43
पूंजी	Capital	...	587.22	587.22
जोड़	Total	0.01	5763.64	5763.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.09	0.09
पूंजी	Capital	...	0.20	0.20
जोड़	Total	...	0.29	0.29
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	5763.96	5763.97
राजस्व	Revenue	0.01	5176.54	5176.55
पूंजी	Capital	...	587.42	587.42

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01	(कa) 0.01
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	0.01	(खb) 0.01
2215-जल आपूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	0.01	(गc) 0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(घd) 0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(ङe) 0.01
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	(चf) 0.01
2402-मृदा और जल संरक्षण	2402-Soil and Water Conservation	...	0.01	(छg) 0.01
2702-लघु सिंचाई	2702-Minor Irrigation	...	0.01	(जh) 0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	0.01	(झi) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.09	0.09
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	0.01	(टj) 0.01
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	4055-Capital Outlay on Police	...	0.01	(ठk) 0.01
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(डl) 0.01
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	0.01	(ढm) 0.01
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	4202-Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture	...	0.01	(णn) 0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01	(तo) 0.01
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4225-Capital Outlay on Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01	(थp) 0.01
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01	(दq) 0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	0.01	(धr) 0.01
4401-फसल कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4401-Capital Outlay on Crop Husbandry	...	0.01	(नs) 0.01
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	4403-Capital Outlay on Animal Husbandry	...	0.01	(पाt) 0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01	(फu) 0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4406-Capital Outlay on Forestry and Wild Life	...	0.01	(बv) 0.01

4408-खाय भंडारण और माल गोदाम पर पूंजीगत परियोजना	4408-Capital Outlay on Food Storage and Warehousing	...	0.01	(भw)	0.01
4515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परियोजना	4515-Capital Outlay on Other Rural Development Programmes	...	0.01	(मx)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना	4801-Capital Outlay on Power Projects	...	0.01	(यy)	0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परियोजना	4851-Capital Outlay on Village and Small Industries	...	0.01	(रz)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परियोजना	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01	(क1A1)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परियोजना	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01	(ख1B1)	0.01
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परियोजना	5452-Capital Outlay on Tourism	...	0.01	(ग1C1)	0.01
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.20		0.20
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.29		0.29

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:		The supplementary Grants are required for:			
(क)	सोवटेक को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (4.00 करोड़ रुपये) अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(a)	meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid to SOVTECH (₹ 4.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ख)	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह चिकित्सा अनुसंधान और शिक्षा समिति को सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय (0.50 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(b)	meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid to "Andaman and Nicobar Islands Medical Research and Education Society" (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ग)	जिला परिषदों को सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.89 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	meeting additional expenditure under Grants-in-Aid to "Zilla Parishads" (₹ 0.89 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(घ)	पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद के कर्मचारियों के वेतन, मजदूरी, पेंशन आदि के भुगतान के लिए सहायता अनुदान वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (15.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	meeting additional expenditure towards Grant-in-Aid Salaries for payment of salary, wages, pension etc. of the employees of Port Blair Municipal Council (₹ 15.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ङ)	अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति को अनुदान सहायता के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (2.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid to Andaman Adim Janjati Vikas Samiti (₹ 2.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(च)	श्रम, रोजगार और कौशल विकास के तहत मजदूरी और छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.27 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	meeting additional expenditure for payment of Wages & Scholarship under "Labour, Employment and Skill Development" (₹ 0.27 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(छ)	मृदा सर्वेक्षण और परीक्षण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.14 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(g)	meeting additional expenditure under "Soil Survey and Testing" (₹ 0.14 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ज)	किसानों को सब्सिडी के भुगतान (0.05 करोड़ रुपये) और कुओं के निर्माण आदि के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.20 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(h)	meeting additional expenditure towards payment of subsidy to farmers (₹ 0.05 crore) and constructions of wells etc. (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(झ)	पंचायत समितियों के लिए अनुदान सहायता के लिए अतिरिक्त व्यय (0.15 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(i)	meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid for Panchayat Samitis (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ट)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.03 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(j)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.03 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ठ)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (0.15 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(k)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.15 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ड)	विनिर्माण कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना (1.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(l)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 1.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		
(ढ)	विनिर्माण कार्यों (0.14 करोड़ रुपये) और वाहनों की खरीद (1.97 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(m)	meeting additional expenditure towards construction works (₹ 0.14 crore) and purchase of vehicles (₹ 1.97 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.		

[illegible]

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 55

लद्दाख
LADAKH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 68 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 54 देखिये)
(See page 68 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 54 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2553.29	2553.29
पूंजी	Capital	...	3404.71	3404.71
जोड़	Total	...	5958.00	5958.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.14	0.14
जोड़	Total	...	0.18	0.18
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5958.22	5958.22
राजस्व	Revenue	...	2553.37	2553.37
पूंजी	Capital	...	3404.85	3404.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2015-चुनाव	2015-Elections	...	0.01 (का)	0.01
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	...	0.01 (खब)	0.01
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	0.01 (गक)	0.01
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04	0.04

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	2245-Relief on account of Natural Calamities	...	(-)5.00	(-)5.00
2408-खाद्य भंडारण और माल गोदाम	2408-Food Storage and Warehousing	...	(-)46.50	(-)46.50
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)51.50	(-)51.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) लंबित चिकित्सा बिलों (0.01 करोड़ रुपये) और यात्रा भत्ता बिलों (0.02 करोड़ रुपये) के भुगतान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) लंबित वेतन बकाया बिलों (1.87 करोड़ रुपये) के भुगतान के लिए वेतन सहायता अनुदान के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत आरक्षित निधि और जमा का अंतरण (5.00 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (घ) खाद्यान्न और कैरोसीन तेल (46.50 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, एक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure for clearing pending medical bills (₹ 0.01 crore) and TA bills (₹ 0.02 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional expenditure for grants-in-aid salary to clear pending salary arrears bills (₹ 1.87 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) transfer of reserve funds and deposit under Disaster Response Fund (₹ 5.00 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (d) Food Grains and Kerosene Oil (₹ 46.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 71 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये)
(See page 71 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1199.60	1199.60
पूंजी	Capital	...	221.90	221.90
जोड़	Total	...	1421.50	1421.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	35.95	35.95
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	35.95	35.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1457.46	1457.46
राजस्व	Revenue	...	1235.55	1235.55
पूंजी	Capital	...	221.91	221.91
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	35.95	35.95

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

बिजली उत्पादन के लिए उच्च गति डीजल की खरीद के लिए अतिरिक्त मांग को पूरा करना (35.95 करोड़ रुपये)।
अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement for purchase of High Speed Diesel for power generation (₹ 35.95 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

दिल्ली को अंतरण

TRANSFERS TO DELHI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1168.00	1168.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1168.00	1168.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1168.01	1168.01
राजस्व	Revenue	...	1168.00	1168.00
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
7602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को ऋण और अग्रिम	7602-Loans and Advances to Union Territory Governments	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता' के तहत 0.01 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने की आवश्यकता है। अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा;

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 0.01 crore towards Additional Central Assistance for Externally Aided Projects. Taking into account savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

जम्मू और कश्मीर को अंतरण

TRANSFERS TO JAMMU AND KASHMIR

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	35581.44	35581.44
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	35581.44	35581.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8956.69	8956.69
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	8956.69	8956.69
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	158.00	158.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	158.00	158.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	44696.13	44696.13
राजस्व	Revenue	...	44696.13	44696.13
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	158.00	158.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

झेलम तारी बाढ़ राहत परियोजना के व्यय को पूरा करने हेतु (158 करोड़ रुपये)।

उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting the expenditure on account of Jhelum Tavi Flood Recovery Project (₹ 158 crore)

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	108.70	49268.75	49377.45
पूंजी	Capital	38.02	27303.00	27341.02
जोड़	Total	146.72	76571.75	76718.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	8.66	2283.95	2292.61
पूंजी	Capital	1.91	0.03	1.94
जोड़	Total	10.57	2283.98	2294.55
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.07	0.07
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	157.29	78855.80	79013.09
राजस्व	Revenue	117.36	51552.74	51670.10
पूंजी	Capital	39.93	27303.06	27342.99

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	(का)	0.01
2059-लोक निर्माण कार्य	2059-Public Works	...	0.01	(खb)	0.01
2217-शहरी विकास	2217-Urban Development	...	0.01	(गc)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(घd)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04		0.04
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(डेe)	0.01
4216-आवासन पर पूंजीगत परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01	(चf)	0.01
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	0.01	(छg)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.03		0.03
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.07		0.07

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	4217-Capital Outlay on Urban Development	...	(-)3202.56		(-)3202.56

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) कार्यालय व्यय (सूचना प्रौद्योगिकी) के तहत कंप्यूटरों के प्रतिस्थापन के व्यय को पूरा करने लिए (₹. 3.50 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए)- के तहत राजघाट समाधि समिति (1.20 करोड़ रुपये)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure for replacement of computers under Office Expenses(Information Technology) (₹ 3.50 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Rajghat Samadhi Committee under Grants-in-Aid(GiA)-General (₹ 1.20 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ग)	सामान्य सहायता अनुदान (जीआईए) के तहत स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (एसबीएम) (यू) (1.30 करोड़ रुपये) अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(c)	Swachh Bharat Mission(Urban) (SBM)(U) under GiA-General (₹ 1.30 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लिए निम्नलिखित व्यय को पूरा करना: (i) पूर्वोत्तर (एनई) राज्य सरकारों को आवास अन्य अनुदान-सहायता (18.04 करोड़ रुपये) और (ii) अनुसूचित जनजाति (एसटी) घटक (157.62 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	meeting expenditure for Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban (PMAY-U) under Grants for Creation of Capital Assets as below: (i) Housing other Grants-Assistance to North East (NE) State Government (₹ 18.04 crore) and (ii) Schedule Tribes(ST) components (₹ 157.62 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	लघु निर्माण कार्यों के तहत केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) (51.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(e)	Central Public Works Department (CPWD) under Minor Works (₹ 51.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	लघु निर्माण कार्य के तहत सीपीडब्ल्यूडी (50.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(f)	CPWD under Minor Works (₹ 50.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	अंतर लेखा अंतरण के तहत मेट्रो परियोजना योजनाओं के सॉवरेन ग्रीन फंड में अंतरण (3202.56 करोड़ रुपये)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(g)	transferring funds to Sovereign Green Fund to meet requirement of Metro Projects Schemes under Inter Accounts Transfer (₹ 3202.56 crore). Taking into account the savings available for surrender in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये)

(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3955.12	3955.12
पूंजी	Capital	...	25.65	25.65
जोड़	Total	...	3980.77	3980.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	201.23	201.23
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	201.23	201.23
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4182.01	4182.01
राजस्व	Revenue	...	4156.36	4156.36
पूंजी	Capital	...	25.65	25.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) सहायता अनुदान (जीआईए) सामान्य के तहत फिल्म संबंधी विषय वस्तु के विकास, संचार, एवं प्रसार (डी.सी.डी.एफ.सी.) योजना में पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनई) में फिल्मों से संबंधित गतिविधियों को बढ़ाने के लिए व्यय को पूरा करना (₹2.88 करोड़) और (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क, विकास (बीआईएनडी) योजना में जी-20 आयोजनों से संबंधित व्यय को पूरा करना (₹9.31 करोड़)।

अनुदान समान खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

(i) meeting expenditure for enhancement of activities related to filmic content in North East (NE) Area in the scheme Development Communication & Dissemination of Filmic Content (DCDFC) under Grants-in-Aid(GiA)-General(₹ 2.88 crore) and (ii) meeting expenditure related to G-20 Events in the scheme Broadcasting Infrastructure & Network Development (BIND) under Grants for Creation of Capital Assets(₹ 9.31 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 62

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प विभाग

DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 80 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 80 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 62 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	18608.17	18608.17
पूंजी	Capital	438.83	438.83
जोड़	Total	19047.00	19047.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	0.04	0.04
पूंजी	Capital
जोड़	Total	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	0.01	0.01
पूंजी	Capital	0.01	0.01
जोड़	Total	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	19047.06	19047.06
राजस्व	Revenue	18608.22	18608.22
पूंजी	Capital	438.84	438.84

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>		<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01	(क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	4702-Capital Outlay on Minor Irrigation	...	0.01	(ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) ईएपी घटक (350 करोड़ रुपये) और कार्यक्रम घटक (120 करोड़ रुपये) के लिए अटल भुजल योजना के तहत सामान्य अनुदान।

The supplementary Grants are required for:

(a) Grants-in-aid General under Atal Bhujal Yojana for EAP Component (₹ 350 crore) and Programme Component (₹ 120 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) 'मशीनरी एवं उपकरण' के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय भूजल प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (0.11 करोड़ रुपये)।

(b) Rajiv Gandhi National Ground Water Training and Research Institute under 'Machinery & Equipment' (₹ 0.11 crore).

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	16846.37	16846.37
पूंजी	Capital	...	47.31	47.31
जोड़	Total	...	16893.68	16893.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	16893.69	16893.69
राजस्व	Revenue	...	16846.38	16846.38
पूंजी	Capital	...	47.31	47.31
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

“राष्ट्रीय श्रम संस्थान” स्कीम के तहत सहायता अनुदान वेतन (0.51 करोड़ रुपए)।
अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid Salaries (₹ 0.51 crore) under the scheme "National Labour Institute".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1978.48	1978.48
पूंजी	Capital	...	1615.00	1615.00
जोड़	Total	...	3593.48	3593.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	29.65	29.65
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	29.65	29.65
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	3166.09	3166.09
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	3166.09	3166.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6789.22	6789.22
राजस्व	Revenue	...	5174.22	5174.22
पूंजी	Capital	...	1615.00	1615.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01 (का)	0.01
2015-चुनाव	2015-Elections	...	3166.08 (खb)	3166.08
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	3166.09	3166.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि में उनकी उपस्थिति के लिए विधि अधिकारियों और सरकारी वकीलों के लंबित बिलों के निपटान हेतु (15.94 करोड़ रुपये)। भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹6.35 करोड़ की अग्रिम की प्रतिपूर्ति की जाएगी; और (ii) भारतीय विधि संस्थान को अतिरिक्त वेतन सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित ₹3.00 करोड़ के अग्रिम की प्रतिपूर्ति करने के लिए।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के लिए चुनाव संबंधी व्यय की लंबित देयता का निपटान करने के लिए।
उपरोक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) clearing the pending bills of Law Officers and Government counsels for their appearance in Supreme court, High Court, etc. (₹ 15.94 crore). An advance of ₹ 6.35 crore withdrawn from Contingency Fund of India will be recouped; and (ii) recouping an advance of ₹3.00 crore withdrawn from the Contingency Fund of India to provide additional Grant-in-aid Salaries to Indian Law Institute.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(b) to clear the pending liability of election related expenditure towards the States/UT Governments.

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

निर्वाचन आयोग

ELECTION COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	253.00	253.00
पूंजी	Capital	...	7.00	7.00
जोड़	Total	...	260.00	260.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	67.24	67.24
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	67.24	67.24
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	327.25	327.25
राजस्व	Revenue	...	320.24	320.24
पूंजी	Capital	...	7.01	7.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

आईआईआईडीएम परिसर के निर्माण पर व्यय को पूरा करना (7 करोड़ रुपये)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on the construction of IIIDEM campus (₹ 7 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)

(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)				
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	20916.00	20916.00
पूंजी	Capital	...	506.00	506.00
जोड़	Total	...	21422.00	21422.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2306.21	2306.21
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2306.21	2306.21
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	23728.23	23728.23
राजस्व	Revenue	...	23222.23	23222.23
पूंजी	Capital	...	506.00	506.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	250.60	(का) 250.60
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	2055.61	(खब) 2055.61
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2306.21	2306.21

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (i) "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" योजना के तहत सब्सिडी (40 करोड़ रुपये) और (ii) "ऋण सहायता कार्यक्रम" योजना के तहत योगदान (770.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के पूंजी खंड (0.60 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड (559.40 करोड़ रुपये) के तहत बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में नकद व्यय (250.00 करोड़ रुपये) होगा।

(ख) (i) "प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)" योजना के तहत सब्सिडी (360.00 करोड़ रुपये), (ii) "ऋण सहायता कार्यक्रम" योजना के तहत योगदान (7230.00 करोड़ रुपये) और (iii) "कॉयर विकास परियोजना" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (7.14 करोड़ रुपये)।

अनुदान के पूंजी खंड (98.90 करोड़ रुपये) में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के इसी खंड (5541.53 करोड़ रुपये) के तहत बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में नकद व्यय (1956.71 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) (i) Subsidies (₹ 40 crore) under the scheme "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)" and (ii) Contribution (₹ 770.00 crore) under the scheme "Credit Support Programme".

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 0.60 crore), and after utilising the savings within the same section of the Grant (₹ 559.40 crore), the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 250.00 crore).

(b) (i) Subsidies (₹ 360.00 crore) under the scheme "Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP)", (ii) Contribution (₹ 7230.00 crore) under the scheme "Credit Support Programme" and (iii) Grants-in-aid General (₹ 7.14 crore) under the scheme "Coir Vikas Yojana".

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant (₹ 98.90 crore), and after utilising the savings within the same section of the Grant (₹ 5541.53 crore), the above expenditure will entail a cash outgo (₹ 1956.71 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1546.79	1546.79
पूंजी	Capital	...	61.21	61.21
जोड़	Total	...	1608.00	1608.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	151.95	151.95
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	151.95	151.95
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1759.95	1759.95
राजस्व	Revenue	...	1698.74	1698.74
पूंजी	Capital	...	61.21	61.21
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	151.95	151.95
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	(-)60.00	(-)60.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) "राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण कोष में अंतरण" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (60.00 रुपये), (ii) " भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण", योजना के तहत वेतन (38.73 करोड़ रुपये) और अन्य प्रशासनिक व्यय (0.24 करोड़ रुपये) (iii) "स्वायत्त निकायों को सहायता" योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹ 2.98), (iv) "भारत" गोल्ड माइन्स लिमिटेड योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹ 3.00 करोड़)।, (v) "राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि क्रियाकलाप" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (12.57 करोड़ रुपये) और (vi) सहायता अनुदान सामान्य (60.00 करोड़ रुपये) योजना "कार्यक्रम घटक" जिसमें भारत की आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की प्रतिपूर्ति (91.95 करोड़ रुपये) शामिल है।

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि (60.00 करोड़ रुपये) से प्राप्त व्यय को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपरोक्त व्यय में निवल नकद व्यय (91.95 करोड़ रुपये) होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) Grants-in-aid General (₹ 60.00 crore) under the scheme "Transfer to National Mineral Exploration Fund", (ii) Salaries (₹ 38.73 crore) and Other Administrative Expenses (₹ 0.24 crore) under the scheme "Geological Survey of India", (iii) Grants-in-aid General (₹ 2.98 crore) under the scheme "Support to Autonomous Bodies", (iv) Grants-in-aid General (₹ 3.00 crore) under the scheme "Bharat Gold Mines Ltd.", (v) Grants-in-aid General (₹ 12.57 crore) under the scheme "National Mineral Exploration Trust Fund Activities" and (vi) Grants-in-aid General (₹ 60.00 crore) under the scheme "Programme Component" including recoupment (₹ 91.95 crore) of an advance drawn from the Contingency Fund of India.

Taking into account the expenditure met from National Mineral Exploration Fund (₹ 60.00 crore) and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a net cash outgo (₹ 91.95 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 71

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 89 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये)

(See page 89 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6888.94	6888.94
पूंजी	Capital	...	11.74	11.74
जोड़	Total	...	6900.68	6900.68
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	132.33	132.33
पूंजी	Capital	...	2.00	2.00
जोड़	Total	...	134.33	134.33
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	5536.00	5536.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	5536.00	5536.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	12571.01	12571.01
राजस्व	Revenue	...	12557.27	12557.27
पूंजी	Capital	...	13.74	13.74
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	5536.00	5536.00
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2810-नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	2810-New and Renewable Energy	...	(-)5538.01	(-)5538.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (1.) 'सॉवरेन ग्रीन फंड' को 'अंतर खाता अंतरण' के रूप में 5,538.01 करोड़ रुपये प्रदान करना [सौर ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 2,800 करोड़ रुपये, पवन ऊर्जा (ग्रिड) के लिए 1,413 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए 1 लाख रुपये और किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (केयूसयूएम)] के लिए 1,325 करोड़ रुपये। 5538.01 करोड़ रुपये की वसूली को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध अवशिष्ट बचत, उपरोक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (1.) Providing ₹ 5,538.01 crore as 'Inter Account Transfer' to 'Sovereign Green Fund' [₹ 2,800 crore for Solar Power (Grid), ₹ 1,413 crore for Wind Power (Grid), ₹ 1 lakh for National Green Hydrogen Mission and ₹ 1,325 crore for Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan (KUSUM)]. Taking into account recoveries of ₹ 5538.01 crore and residual savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 76

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 94 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 73 देखिये)

(See page 94 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 73 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8339.86	8339.86
पूंजी	Capital	...	600.00	600.00
जोड़	Total	...	8939.86	8939.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25503.68	25503.68
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	25503.68	25503.68
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	34443.56	34443.56
राजस्व	Revenue	...	33843.56	33843.56
पूंजी	Capital	...	600.00	600.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	0.01 (का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में घरेलू प्राकृतिक गैस के लिए देय अन्य सब्सिडी के भुगतान के लिए 477 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

(a) providing additional funds of ₹ 477 crore towards payment of other subsidy payable in North East Region for domestic natural gas. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

(ख) भारत के लिए व्यापारिक जहाजों को रवाना करने के संवर्धन के लिए 215.62 करोड़ रुपये की सब्सिडी। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

(b) subsidy of ₹ 215.62 crore towards promotion of flagging of Merchant Ships for India. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 77

योजना मंत्रालय

MINISTRY OF PLANNING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 95 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)
(See page 95 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 74 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	310.67	310.67
पूंजी	Capital	...	10.75	10.75
जोड़	Total	...	321.42	321.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	612.44	612.44
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	622.44	622.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	16.44	16.44
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	16.44	16.44
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	960.30	960.30
राजस्व	Revenue	...	939.55	939.55
पूंजी	Capital	...	20.75	20.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	16.44	16.44

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान और विकास संस्थान के तहत -वेतन सहायता अनुदान (1.44 करोड़ रुपये)।
(ii) देश भर में इनोवेशन इकोसिस्टम विकास कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए (15.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए तकनीकी पूरक की मांग की जाती है। उपरोक्त व्यय के लिए ₹1.44 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grants-in-aid Salaries under National Institute of Labour Economics Research and Development (₹1.44 crore),
(ii) meeting the additional requirement of funds on account of Innovation Ecosystem Development Activities across the country (₹15.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary is sought. The above expenditure will entail a cash outgo of ₹1.44 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 78

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 96 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)

(See page 96 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 75 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1495.19	1495.19
पूंजी	Capital	...	749.31	749.31
जोड़	Total	...	2244.50	2244.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	13.09	13.09
पूंजी	Capital	...	70.80	70.80
जोड़	Total	...	83.89	83.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	23.86	23.86
जोड़	Total	...	23.87	23.87
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2352.26	2352.26
राजस्व	Revenue	...	1508.29	1508.29
पूंजी	Capital	...	843.97	843.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	3051-Ports and Light Houses	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभों पर पूंजीगत परिव्यय	5051-Capital Outlay on Ports and Light Houses	...	23.86 (खब)	23.86
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	23.87	23.87

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) सागरमाला के तहत पूंजीगत संपत्ति के सृजन के लिए अनुदान (₹7.70 करोड़)
(ii) लाइटहाउस और लाइटशिप महानिदेशालय के तहत 'रिजर्व' के अंतर्गत सामान्य रिजर्व फंड (₹23.18 करोड़)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) निवेश (₹53.43 करोड़) के तहत सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा इक्विटी के भुगतान के लिए।
अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध अभ्यार्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants for creation of Capital Assets under Sagarmala (₹7.70 crore) (ii) General Reserve Fund under 'Reserve' under Directorate General of Lighthouses and Lightships (₹23.18 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) for payment of equity by Sagarmala Development Company Limited under Investment (₹53.43 crore).
Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 79

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 97 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)

(See page 97 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 76 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	18421.11	18421.11
पूंजी	Capital	...	13.11	13.11
जोड़	Total	...	18434.22	18434.22
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	10.00	10.00
जोड़	Total	...	10.02	10.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	18444.25	18444.25
राजस्व	Revenue	...	18421.14	18421.14
पूंजी	Capital	...	23.11	23.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना: (i) केंद्रीय विद्युत नियामक प्राधिकरण के लिए पूंजीगत आस्ति के सृजन केंद्र अनुदान के लिए 5 करोड़ रुपए; (ii) दिल्ली के अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त एसईआरसी की स्थापना के लिए सामान्य सहायता अनुदान के रूप में 1.15 करोड़ रुपए और (iii) लोहारी नागपाला परियोजना हेतु 53 करोड़ रुपए की सामान्य सहायता अनुदान। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

providing additional funds amounting to: (i) ₹ 5 crore towards grants for creation of capital assets for Central Electricity Regulatory Authority; (ii) ₹ 1.15 crore for setting up of Joint SERC for Union Territories except Delhi, as grants in aid general and (iii) ₹ 53 crore for Lohari Nagpala project towards grants in aid general. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 84 (विनियोग)(APPROPRIATION)

संघ लोक सेवा आयोग

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 102 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 102 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 80 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	330.58	...	330.58
पूंजी	Capital
जोड़	Total	330.58	...	330.58
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	20.67	...	20.67
पूंजी	Capital
जोड़	Total	20.67	...	20.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	18.75	...	18.75
पूंजी	Capital
जोड़	Total	18.75	...	18.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	370.00	...	370.00
राजस्व	Revenue	370.00	...	370.00
पूंजी	Capital
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2051-लोक सेवा आयोग	2051-Public Service Commission	18.75	...	18.75

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

परीक्षाओं और चयनों पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹18.75 करोड़)

उपरोक्त व्यय के लिए नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

meeting additional expenditure on Examinations and Selections (₹18.75 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 85

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103-104 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 81-82 देखिये)

(See page 103-104 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 81-82 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	488.00	303064.14	303552.14
पूंजी	Capital	98.00	329089.70	329187.70
जोड़	Total	586.00	632153.84	632739.84
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	12000.00	12000.00
जोड़	Total	...	12000.00	12000.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	68.80	1340.94	1409.74
पूंजी	Capital	882.00	0.01	882.01
जोड़	Total	950.80	1340.95	2291.75
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1536.80	645494.79	647031.59
राजस्व	Revenue	556.80	304405.08	304961.88
पूंजी	Capital	980.00	341089.71	342069.71

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3002-भारतीय रेलवे-वाणिज्यिक लाइन-कार्य संचालन व्यय	3002-Indian Railways - Commercial Lines - Working Expenses	68.80 (क)	1340.94 (ख)	1409.74
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे - वाणिज्यिक लाइन पर पूंजीगत परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	882.00 (ग)	0.01 (घ)	882.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	950.80	1340.95	2291.75

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	अदालती आदेशों से उत्पन्न होने वाले व्यय के लिए 68.80 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए 68.80 करोड़ की शेष राशि के लिए पूरक की मांग की गई है। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting additional expenditure ₹ 68.80 crore for expenditure arising out of court decrees. Taking into account the savings available in the same section of grant, supplementary for balance amount of 68.80 crore is sought. This will not entail cashoutgo considering the saving available in Capital Section of the Grant.
(ख)	ईंधन (डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन) के तहत उच्च आवश्यकता को पूरा करने और उच्च मरम्मत और रखरखाव गतिविधियों के लिए 1340.94 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के एक इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, 1340.94 करोड़ रुपये की शेष राशि की पूरक मांग की गई है। अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 1340.94 crore towards meeting higher requirement under fuel (Diesel & Electric tractions) and higher repairs and maintenance activities. Taking into account the savings available in the same section of Grant, supplementary of balance amount of ₹ 1340.94 crore is sought. This will not entail cash outgo considering the savings available in Capital Section of the grant.
(ग)	न्यायालय के आदेशों से होने वाले व्यय के लिए 882 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के पूंजीगत स्वीकृत खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, इसमें नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 882 crore towards expenditure arising out of court decrees. Taking into account savings available in the capital voted section of the Grant, this will not entail cash outgo.
(घ)	आमान परिवर्तन (153.93 करोड़ रुपये), रोलिंग स्टॉक (5829.82 करोड़ रुपये), ट्रैक नवीनीकरण (1892.54 करोड़ रुपये), उत्पादन इकाइयों सहित कार्यशाला (636.96 करोड़ रुपये) और मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स (1486.75 करोड़ रुपये) और सॉवरेन ग्रीन फंड में (10,239 करोड़ रुपये) का अंतरण [ऊर्जा कुशल तीन चरण इलेक्ट्रिक लोको का उत्पादन (8541 करोड़ रुपये), दमदम हवाई अड्डा न्यू गरिया राजेरहाट के माध्यम से मेट्रो रेलवे का निर्माण न्यू गरिया (कवि सुभाष) बिमान बंदर (904 करोड़ रुपये) और जोका बिनॉय बादल दिनेश बाग वाया माझेरहाट मेट्रो रेलवे का निर्माण (794 करोड़ रुपये)] के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए पूरक सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।	(d)	meeting additional expenditure towards additional expenditure on Gauge Conversion (₹ 153.93 crore), Rolling stock (₹ 5829.82 crore), track Renewals (₹ 1892.54 crore), Workshop including Production Units (₹ 636.96 crore), Metropolitan Transport Projects (₹ 1486.75 crore), and transfers to Sovereign Green Fund (₹ 10,239 crore) [Production of energy efficient three phase electric locos (₹ 8541 crore), Dum Dum Airport New Garia via Rajerhat construction of Metro railway New Garia (Kavi Subhas) Biman Bandar (₹ 904 crore) and Joka Binoy Badal Dinesh Bagh via Majerhat construction of Metro Railway (₹ 794 crore)]. Taking into account savings available in the same section of the Grant, token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 83 देखिये)
(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 83 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22584.19	22584.19
पूंजी	Capital	5.00	369171.14	369176.14
जोड़	Total	5.00	391755.33	391760.33
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10.00	10.00
पूंजी	Capital	...	37117.64	37117.64
जोड़	Total	...	37127.64	37127.64
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	3693.10	3693.10
जोड़	Total	...	3693.11	3693.11
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	432576.08	432581.08
राजस्व	Revenue	...	22594.20	22594.20
पूंजी	Capital	5.00	409981.88	409986.88
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	3693.09 (गक)	3693.09
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	3693.10	3693.10
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	3693.11	3693.11
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)3860.09	(-)3860.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्य की सड़कों के विकास के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (230 करोड़ रुपए)।
(ii) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष में अंतर खाता अंतरण का विस्तार किया जाना है (230 करोड़ रुपए)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) केंद्रीय सड़क और अवसंरचना कोष द्वारा वित्तपोषित पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए सड़क विंग के तहत सड़क विकास कार्यों हेतु मुख्य कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (2805 करोड़ रुपए)।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ग) (i) हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर परियोजना के लिए विदेशी सहायता योजना - विश्व बैंक के तहत मुख्य कार्यों हेतु अतिरिक्त व्यय (136 करोड़ रुपए)।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants for creation of Capital Assets under development of State Roads for UT of J&K (₹ 230 crore).
(ii) Inter Account Transfer to Central Road and Infrastructure Fund is to be enhanced (₹ 230 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Additional expenditure on Major Works for Road Development Works under Road Wing for North Eastern Areas - Financed from Central Road and Infrastructure Fund (₹ 2805 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (i) additional expenditure on Major Works under the Externally Aided Scheme - World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹ 136 crore).

(ii) सीआरआईएफ द्वारा वित्तपोषित राष्ट्रीय राजमार्ग मूल सामान्य कार्यों के तहत मुख्य कार्यों के लिए अतिरिक्त व्यय (3860.09 करोड़ रुपए)।

(iii) हरित राष्ट्रीय राजमार्ग कोरिडोर परियोजना के लिए विदेशी सहायता योजना के लिए - विश्व बैंक के लिए प्रतिपक्षी कोष के तहत मुख्य कार्यों में अतिरिक्त व्यय (159 करोड़ रुपए)।

(iv) लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट प्रभावी क्षेत्रों में सड़क संयोजकता (राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़क) के विशेष कार्यक्रम विकास के लिए आदिवासी क्षेत्र उपयोग के तहत केंद्रीय सड़क और अवसंरचना निधि से वित्तपोषण के लिए मुख्य कार्यों में अतिरिक्त व्यय (59 करोड़ रुपए)।

(v) उत्तर पूर्वी क्षेत्र, एनएचओडब्ल्यू और जीएनएचसीपी योजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) में अंतर खाता अंतरण (6692.09 करोड़ रुपए)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध 885.82 करोड़ रुपए के अभ्यर्पण की बचतों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों के उपयोग के बाद उपरोक्त व्यय में 2807.27 करोड़ रुपए का नकद व्यय होगा।

(ii) additional expenditure on Major Works under National Highways Original Works-General financed from CRIF (₹ 3860.09 crore).

(iii) additional expenditure on Major Works under the Counterpart fund for Externally Aided Scheme – World Bank, for Green National Highways Corridor Project (₹ 159 crore).

(iv) additional expenditure on Major Works for Financed from Central Road and Infrastructure Fund under Tribal Area Sub Plan for Special Programme Development of Road Connectivity (NH and State Roads) in Left Wing Extremist Affected Areas (₹59 crore).

(v) Inter Account Transfer to Central Road Infrastructure Fund (CRIF) meant for North East Region, NHOW and GNHCP Schemes (₹6692.09 crore).

Taking into account the surrender of savings of ₹ 885.82 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings of within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 2807.27 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

भूमि संसाधन विभाग

DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 87 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 87 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2259.34	2259.34
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2259.34	2259.34
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	10.25	0.02	10.27
पूंजी	Capital
जोड़	Total	10.25	0.02	10.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.25	2259.37	2269.62
राजस्व	Revenue	10.25	2259.37	2269.62
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2506-भूमि सुधार	2506-Land Reforms	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'डिजिटल इंडिया पहल - भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम' के लिए 10.04 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय को पूरा करना। अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 10.04 crore towards 'Digital India Initiative - Land records Modernisation Programme'. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 88 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 88 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	5919.48	5919.50
पूंजी	Capital	...	82.70	82.70
जोड़	Total	0.02	6002.18	6002.20
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	6002.21	6002.23
राजस्व	Revenue	0.02	5919.51	5919.53
पूंजी	Capital	...	82.70	82.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) भारत की जी-20 अध्यक्षता 2022 (विज्ञान) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (0.50 करोड़ रुपये) अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए (i) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु वेतन सहायता अनुदान और राष्ट्रीय अनुसंधान परिषद के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (0.01 करोड़ रुपये) (ii) स्वायत्त निकायों को सहायता के अंतर्गत श्री चित्र तिरुनल चिकित्सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए सामान्य सहायता अनुदान (15 करोड़ रुपये) और वेतन सहायता अनुदान (20 करोड़ रुपये) और (iii) भारत के आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिम की पुनर्प्राप्ति के लिए अंतः विषय साइबर भौतिक प्रणाली से संबंधित राष्ट्रीय मिशन योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (60 करोड़ रुपये)
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹ 0.50 crore) under G-20 India Presidency 2022 (Science). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid Salaries, Grants for creation of Capital Assets and Grants-in-aid General under National Research Foundation (₹ 0.01 crore) (ii) Grants –in-aid General (₹ 15 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹ 20 crore) for Sree Chitra Tirunal Institute for Medical Science and Technology under Assistance to Autonomous Bodies and (iii) Grants for creation of Capital Assets (₹ 60 crore) under the Scheme 'National Mission on Interdisciplinary Cyber Physical Systems' for recoupment of an advance drawn from the Contingency fund of India. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

जैव प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2581.00	2581.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	2581.00	2581.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2581.02	2581.02
राजस्व	Revenue	...	2581.02	2581.02
पूंजी	Capital
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01 (खb)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) औद्योगिक और उद्यमिता विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु प्रतिबद्धताओं को पूरा करना (12 करोड़ रुपये)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।
- (ख) निम्नलिखित व्यय को पूरा करने के लिए:- 1. सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बाइरेक) (5 करोड़ रुपये); ii) स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान को सहायता (20 करोड़ रुपये) और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास को सहायता (284.45 करोड़ रुपये) 2. स्वायत्त अनुसंधान एवं विकास संस्थान को सहायता हेतु वेतन सहायता अनुदान (52.56 करोड़ रुपये) 3. उद्योग और उद्यमशीलता विकास के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (46 करोड़ रुपये); और 4. जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास के अंतर्गत आयोजित होने वाली जी20 बैठक की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय (4 करोड़ रुपये)। इसमें भारत के आकस्मिकता निधि से संस्वीकृत 200 करोड़ रुपये की अग्रिम पुनर्प्राप्ति शामिल है।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid General for Industrial and Entrepreneurship Development (₹ 12 crore)
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General for (i) Biotechnology Industry Research Assistance Council (BIRAC) (₹ 5 crore); (ii) Support to Autonomous R&D Institutions (₹ 20 crore); and Biotechnology Research & Development (₹ 284.45 crore); 2. Grants-in-Aid Salaries for Support to Autonomous R&D Institutions (₹ 52.56 crore); 3. Grants for creation of Capital Assets under Industrial and Entrepreneurship Development (₹ 46 crore); and 4. Other Administrative Expenses to meet the commitments of meetings to be held under G20 under Biotechnology Research and Development (₹ 4 crore). This includes recoupment of advance of ₹ 200 crore sanctioned from Contingency Fund of India.
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 89 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 89 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5623.96	5623.96
पूंजी	Capital	...	12.50	12.50
जोड़	Total	...	5636.46	5636.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	313.65	313.65
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	313.66	313.66
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	5950.13	5950.13
राजस्व	Revenue	...	5937.62	5937.62
पूंजी	Capital	...	12.51	12.51
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं (10 करोड़ रुपये) के तहत अनुदान सहायता वेतन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करना।
अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards Grants-in-Aid Salaries under National Laboratories (₹ 10 crore).
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 देखिये)

(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2847.54	2847.54
पूंजी	Capital	...	151.46	151.46
जोड़	Total	...	2999.00	2999.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2999.01	2999.01
राजस्व	Revenue	...	2847.55	2847.55
पूंजी	Capital	...	151.46	151.46
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"राष्ट्रीय शिक्षता प्रोत्साहन योजना" योजना के तहत सहायता अनुदान सामान्य (₹. 175.00 करोड़)।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grants-in-aid General (₹ 175.00 crore) under the scheme "National Apprenticeship Promotion Scheme".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 93

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 112 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 112 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 90 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	11687.51	11687.51
पूंजी	Capital	...	235.00	235.00
जोड़	Total	...	11922.51	11922.51
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1100.00	1100.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	1100.00	1100.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital	...	8.17	8.17
जोड़	Total	...	8.17	8.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	13030.68	13030.68
राजस्व	Revenue	...	12787.51	12787.51
पूंजी	Capital	...	243.17	243.17
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4250-Capital Outlay on other Social Services	...	8.17	8.17

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

महिला इमदाद समिति को भूमि आवंटन हेतु भुगतान अवमुक्त करने हेतु (8.17 करोड़ ₹.)

अनुदान के राजस्व अनुभाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा।

The supplementary Grant is required for:

For release of payment for allotment of land to Mahila Imdad Committee (₹ 8.17 crore)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

दिव्ययाजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1212.41	1212.41
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	1212.42	1212.42
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue
पूंजी	Capital
जोड़	Total
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1212.43	1212.43
राजस्व	Revenue	...	1212.42	1212.42
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

सहायक उपकरण और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता के तहत सामान्य अनुदान (13.54 करोड़ रुपये) (जिसमें सामान्य के लिए 9.29 करोड़ रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 1.89 करोड़ रुपये और अनुसूचित जनजाति के लिए 2.36 करोड़ रुपये शामिल हैं)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Grant-in-Aid-General under Assistance to Disabled Persons for Purchase/fitting of Aids and Appliances (₹ 13.54 crore) (which includes ₹ 9.29 crore for General, ₹ 1.89 crore for SCs and ₹ 2.36 crore for STs).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 91 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 91 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	6233.80	6234.40
पूंजी	Capital	0.40	7465.20	7465.60
जोड़	Total	1.00	13699.00	13700.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	0.01	0.61
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	0.60	0.02	0.62
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.60	13699.04	13700.64
राजस्व	Revenue	1.20	6233.82	6235.02
पूंजी	Capital	0.40	7465.22	7465.62

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) एशिया और प्रशांत क्षेत्र में अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा केंद्र का सामान्य सहायता अनुदान (2.00 करोड़ रुपये); और (ii) इन्सैट/जीसैट ट्रांसपोंडरों को पट्टे पर देने के लिए सेवा शुल्क की अन्य संविदात्मक सेवाएं (212.00 करोड़ रुपये) संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए।
अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) 1. योजनाओं के तहत मशीनरी और उपकरण (i) ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन - निरंतरता परियोजना (4 करोड़ रुपये) (ii) मास्टर कंट्रोल सुविधा (13.50 करोड़ रुपये); (iii) आदित्य (2.76 करोड़ रुपये); और (iv) जीसैट 20 उपग्रह (8.82 करोड़ रुपये) के व्यय को पूरा करने के लिए। योजनाओं के तहत प्रमुख कार्य (i) मानवयुक्त मिशन पहल/मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (गगनयान) (22.54 करोड़ रुपये); (ii) सेमी क्रायोजेनिक इंजन विकास (0.10 करोड़ रुपये); (iii) नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस (6.99 करोड़ रुपये); (iv) चंद्रयान-III (0.10 करोड़ रुपये); (v) इसरो केंद्रों पर सामान्य सिविल कार्य (50 करोड़ रुपये); (vi) ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र (2 करोड़ रुपये)
3. योजनाओं के तहत सूचना प्रौद्योगिकी एम एंड ई (i) ध्रुवीय उपग्रह लॉन्च वाहन - निरंतरता परियोजना (0.05 करोड़ रुपये); (ii) इसरो प्रणोदन परिसर (1.03 करोड़ रुपये); (iii) अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (3.16 करोड़ रुपये); और (iv) जलवायु और वायुमंडलीय कार्यक्रम (0.08 करोड़ रुपये) और 4. मास्टर कंट्रोल सुविधा के लिए अन्य पूंजीगत व्यय (4.10 करोड़ रुपये)।

अनुदान के एक ही खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) meeting expenditure towards (i) Grants- in-Aid General of Centre for Space Science & Technology Education in Asia and the Pacific (₹ 2 crore); and (ii) Other Contractual Services of Services Charges for Leasing of INSAT/GSAT Transponders (₹ 212 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting expenditure towards 1. Machinery and Equipment under the schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle – Continuation Project (₹ 4 crore) (ii) Master Control Facility (₹ 13.50 crore); (iii) ADITYA (₹ 2.76 crore); (iv) GSAT 20 Satellites (₹ 8.82 crore); 2. Major Works under the schemes (i) Manned Mission initiatives/Human Space Flight Programme (Gaganyaan) (₹ 22.54 crore); (ii) Semi Cryogenic Engine Development (₹ 0.10 crore); (iii) Network for Space Object Tracking and Analysis (₹ 6.99 crore); (iv) Chandrayaan-III (₹ 0.10 crore); (v) General Civil Works at ISRO Centres (₹ 50 crore); (vi) Solid Propellant Space Booster Plant (₹ 2 crore); 3. Information Technology M&E under the schemes (i) Polar Satellite Launch Vehicle- Continuation Project (₹ 0.05 crore); (ii) ISRO Propulsion Complex (₹ 1.03 crore); (iii) Space Application Centre (₹ 3.16 crore); (iv) Climate & Atmospheric Programme (₹ 0.08 crore) and 4. Other Capital Expenditure for Master Control facility (₹ 4.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

वस्त्र मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 117 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)
(See page 117 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 94 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	12357.11	12357.11
पूंजी	Capital	...	25.03	25.03
जोड़	Total	...	12382.14	12382.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	6.50	6.50
जोड़	Total	...	6.53	6.53
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	12388.69	12388.69
राजस्व	Revenue	...	12357.16	12357.16
पूंजी	Capital	...	31.53	31.53

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01	(का)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02		0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) (i) "कच्चे माल की आपूर्ति योजना" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (10.00 करोड़ रुपये) और (ii) "राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)" योजना के तहत सामान्य सहायता अनुदान (2.59 करोड़ रुपये) ।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।
- (ख) "संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस)" योजना के तहत सब्सिडी (72.05 करोड़ रुपये)।
अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) Grants-in-aid General (₹ 10.00 crore) under the scheme "Raw Material Supply Scheme" and (ii) Grants-in-aid General (₹ 2.59 crore) under the scheme "National Handicrafts Development Programme (NHDP)".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) Subsidies (₹ 72.05 crore) under the scheme "Amended Technology Up-gradation Fund Scheme (ATUFS)".
Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 119 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 119 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 96 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4620.35	3781.57	8401.92
पूंजी	Capital	...	50.00	50.00
जोड़	Total	4620.35	3831.57	8451.92
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	9.00	9.00
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	9.00	9.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.96	0.96
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.96	0.96
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4620.35	3841.53	8461.88
राजस्व	Revenue	4620.35	3791.53	8411.88
पूंजी	Capital	...	50.00	50.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.96	0.96

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की गैर-योजना के तहत 'वेतन' (0.26 करोड़ रुपये), 'कार्यालय व्यय' (0.50 करोड़ रुपये) और 'घरेलू यात्रा व्यय' (0.20 करोड़ रुपये) के लिए अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।

अनुदान के राजस्व खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय के लिए कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं करना होगा।

The supplementary Grant is required for:

Meeting the additional requirement for expenditure towards Salaries (₹ 0.26 crore), Office Expenses (₹ 0.50 crore) and Domestic Travel Expenses (₹ 0.20 crore) under the Non- scheme National Commission for Scheduled Tribes (NCST)

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2022-2023 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 102

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2022-2023 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2022-2023 and page 98 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2022-2023)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3057.28	3057.28
पूंजी	Capital	...	5.32	5.32
जोड़	Total	...	3062.60	3062.60
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3062.63	3062.63
राजस्व	Revenue	...	3057.31	3057.31
पूंजी	Capital	...	5.32	5.32
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2204-खेल और युवा मामले	2204-Sports and Youth Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (i) नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी के लिए सहायता अनुदान सामान्य (2.50 करोड़ रुपए)

अनुदान के समान खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

- (i) Grant-in-aid General for the National Anti-Doping Agency (₹ 2.50 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.